खण्ड-228, अंक-2
मंगलवार, 6 चैत्र, शक संवत् 1884
(27 मार्च, 1962 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 228 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	.. १३–१७
श्री राज्यपाल के अभिभाषण के अंश का श्री अध्यक्ष द्वारा पाठ ..	.. १७–१८
सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण	.. १८
उत्तर प्रदेश स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन, लखनऊ के अंशधारियों को लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन (उपस्थापित किया गया) ..	.. १८
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली, १९५२ के अधीन प्रख्यापित संशोधन (उपस्थापित किये गये) ..	.. १८–१९
उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली, १९५७ के अधीन प्रख्यापित संशोधन (उपस्थापित किये गये)	.. १९–२०
उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण नियमावली, १९६१ के अधीन प्रख्यापित संशोधन (उपस्थापित किये गये) ..	.. २०
यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रुल्स, १९४० के अधीन प्रख्यापित, संशोधन (उपस्थापित किये गये)	.. २०–२१
उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (कठिनाइयों को दूर करने की) प्रथम आज्ञा, १९६१ (उपस्थापित की गई)	२१
उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (कठिनाइयों को दूर करने की) प्रथम आज्ञा, १९६२ (उपस्थापित की गई)	२१
यू० पी० म्युनिसिपल वाटर सप्लाई रूल्स में प्रख्यापित संशोधन (उपस्थापित किये गये)	.. २१–२२
पंचायतराज रूल्स में प्रख्यापित संशोधन (उपस्थापित किये गये)	२२
युक्त प्रान्तीय बिक्री-कर (अस्थायी) नियम, १९४८ में प्रख्यापित संशोधन (उपस्थापित किये गये)	२२
उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियम, १९५४ के अधीन प्रख्यापित संशोधन (उपस्थापित किये गये)	२२
नगर महापालिका द्वारा पदों के सर्जन तथा उन पर नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की अर्हताओं, उपलब्धियों तथा सेवा की अन्य शर्तों से सम्बद्ध नियमावली में प्रख्यापित संशोधन (उपस्थापित किये गये)	२२
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों) की नियमावली, १९६२ (उपस्थापित की गई)	२२–२३
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६१–६२ का तृतीय पूरक) विधेयक, १९६२ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	२३

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६२ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा)	२३
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई) ..	२३–२४
नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं	२४–२५
समाचार-पत्रों में असत्य प्रकाशन	२५
अधिष्ठाता मण्डल के लिये नाम निर्देशित सदस्यों के नामों की सूचना ..	२५–२६
उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था (नियंत्रण) अधिनियम, १९५६ के लिये ३ सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	२६
उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और उपमंत्रियों (के वेतन तथा भत्तों) का (संशोधन) विधेयक, १९६२ (पुरः स्थापित किया गया)	२६–२७
उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९६२ (पुरः स्थापित किया गया)	२७
उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९६२ (पुरःस्थापित किया गया)	२७
उत्तर प्रदेश टाउन इम्प्रूवमेंट (अवस्थानुकूल परिवर्तन) (संशोधन) विधेयक, १९६२ (पुरः स्थापित किया गया)	२८
एपेडेमिक डिजीजेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६२ (पुरःस्थापित किया गया)	२८
श्री राज्यपाल के अभिभाषण के समय समाजवादी दल द्वारा सदन परित्याग के संबंध में श्री अध्यक्ष का सुझाव	२९
नत्थियां	३०–५७

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २७ मार्च, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ३ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदन मोहन वर्मा, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३६२

अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, श्री
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासन, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री (आजमगढ़)
उमाशंकर, श्री (वाराणसी)
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कंधईलाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ, श्री
काशीनाथ बहादुर, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किसुना, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केशभान, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
केसरीप्रसाद, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगासिंह, श्री
गनेशीलाल, श्री
गयाप्रसाद, श्री (वाराणसी)
गयाप्रसाद, श्री (सीतापुर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बश, श्री

छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद, श्री
जगन्नाथ, श्री (जौनपुर)
जगन्नाथसिंह, श्री
जगन्नाथ, श्री (बलिया)
जमादारसिंह, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री काजी
जिया उर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
झारखण्डे राय, श्री
झिलमिट झिल्लू, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
दयाराम, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराज, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम, श्री
नत्थूराम, श्री
नाथूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण, श्री
नरेन्द्रबहादुरसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री (मुरादाबाद)
नरेन्द्रसिंह, श्री (पिठौरागढ़)
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचम, श्री
परमाई, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम, श्री
पितई, श्री
पीतमसिंह, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजाजी)
प्यारेलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री (इटावा)
बनवारीलाल विप्र, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्द्रभूषणप्रतापसिंह, श्री

बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वरसहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त माथुर, श्री
भगवानदास, श्री (आगरा)
भगवानदास, श्री (मिर्जापुर)
भगवानसहाय, श्री
भगवानदीन, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री (देवरिया)
मंगल, श्री (बहराइच)
मंगलदेव, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपाल सिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद अली खाँ, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजर, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनसिंह, श्री
यशपाल, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुवीर, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीरसहाय, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रनबहादुरसिंह, श्री
रफी खां, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनाथ, श्री
राजनारायण, श्री (मिर्जापुर)
राजनारायण, श्री (वाराणसी)
राजनारायण मिश्र, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम, श्री
रामआधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर, श्री (बाराबंकी)
रामकुमार, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री

रामचरनशाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर रविदासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामायण, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासतहुसैन, श्री
रुकुमसिंह, श्री
रुद्रप्रतापसिंह, श्री कुंवर
लक्ष्मीशंकर, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लोकपालसिंह, श्री
विक्रमशाह राजा, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती, श्रीमती
विश्वनाथ, श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
बैजनाथ पाण्डेय, श्री

शंकरलाल, श्री
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शौकत हमीद, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपाल, श्री कुंवर
श्रीराम, श्री (उन्नाव)
श्रीराम, श्री (बिजनौर)
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पाण्डेय, श्री
सत्यवीर, श्री कुंवर
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सहदेवसिंह, श्री
शान्तिचन्द, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुगनचन्द, श्री
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुबेदारसिंह, श्री
सुरजन, श्री

सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरीदत्त, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतराम, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

श्री राज्यपाल केअ भिभाषण के अंश का श्री अध्यक्ष द्वारा पाठ

श्री अध्यक्ष—हमारी नियमावली के नियम २० (२) के अनुसार मैं आपके समक्ष श्री राज्यपाल के अभिभाषण के अंश पढ़ कर सुना रहा हूं ।

"विधान-परिषद् के सभापति, विधान-सभा के अध्यक्ष, तथा विधान-मंडल के सदस्य-गण,

हाल में हुए सामान्य निर्वाचन के फलस्वरूप विधान-सभा का संघटन होने के बाद विधान-मंडल के दोनों सदनों के प्रथम सत्र का आज आरम्भ है। ऐसे समय पर आपको संबोधित करते हुए मुझे गौरव का अनुभव होता है । इस अवसर पर विधान सभा के नव-निर्वाचित सदस्यों का स्वागत करते हुए मैं उन्हें बधाई देता हूं कि वे जनता का विश्वास प्राप्त करके पांच वर्ष तक उसकी सेवा करने के लिये चुने गये हैं । हमारे जो साथी चुने नहीं जा सके, हमें उनका अभाव खटकेगा, किन्तु साथ ही मुझे विश्वास है कि नये सदस्य न केवल सदन की उच्च परम्पराओं को बनाये रखेंगे, बल्कि अपने प्रयत्नों तथा बिचार-विमर्श से राज्य की प्रगति तथा समृद्धि में भी बहुत कुछ योग देंगे ।

अपने लिये भारत का संविधान निर्मित करके हमने अपने को संपूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोक-तन्त्रात्मक गणराज्य घोषित किया । हाल में होने वाला सामान्य निर्वाचन उक्त घोषणा के बाद अपने ढंग का तीसरा निर्वाचन था । जिस शान्ति तथा निष्पक्षता के साथ यह निर्वाचन सम्पन्न हुआ उससे यही प्रकट होता है कि जनतांत्रिक सिद्धान्तों में हमारा अडिग विश्वास है ।"

* * *

"गत वर्ष इसी प्रकार के एक अवसर पर पिछले विधान-मंडल के दोनों सदनों को संबोधित करते समय मैंने अपनी सरकार के निश्चय का उल्लेख किया था कि इस राज्य में एक स्थायी विधि आयोग स्थापित किया जायगा जिसका उद्देश्य विधि के विकास को दृष्टि में रखते हुए राज्य के अधिनियमों का समय-समय पर पुनरीक्षण करना और बदली हुई परिस्थितियों तथा विधि संबंधी नवीनतम बिचारधाराओं के संदर्भ में उन्हें समेकित तथा समन्वित करना और नया रूप प्रदान करना होगा । मुझे आपको यह सूचित करते हुए प्रसन्नता होती है कि राज्य विधि आयोग बन गया है और उसने १ फरवरी, १९६२ से कार्य करना आरम्भ कर दिया है । आशा है कि राज्य विधि आयोग की स्थापना से राज्य की विधि में वांछित सुधार होगा ।

अपना अभिभाषण समाप्त करने के पूर्व मैं एक बार फिर इस राज्य को सम्पन्नता तथा समृद्धि के वांछित लक्ष्य की ओर ले जाने के महान कार्य के लिये आपको आमंत्रित करता हूं ।

(पूर्ण अभिभाषण के लिये देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३०—४० पर)

[श्री अध्यक्ष]

और आशा करता हूं कि आप अपनी विमर्षकारी बुद्धि तथा प्रयत्नों के द्वारा इस राज्य की नौका को विघ्न-बाधाओं का सामना करते हुए गंतव्य स्थान तक पहुंचायेंगे तथा स्वस्थ परम्पराएं स्थापित करके सुदृढ़ जनतांत्रिक आदर्शों के आधार पर जनतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण में सहायक होंगे ।

मुझे विश्वास है कि अपने कृत्यों के संपादन में आप केवल निःस्वार्थ कर्त्तव्य निष्ठा द्वारा ही प्रेरित होंगे । ईश्वर आपकी सहायता करे और आपको अविचल उत्साह के साथ कर्त्तव्यपालन की शक्ति प्रदान करे ।"

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री अध्यक्ष---पूर्व इसके कि कार्यवाही प्रारम्भ हो, श्री नत्थूसिंह यहां आये हुए हैं, उन्होंने अभी शपथ नहीं ली है, वह आकर शपथ लें ।

(श्री नत्थूसिंह ने शपथ ग्रहण की ।)

उत्तर प्रदेश स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन लखनऊ के अंशधारियों को लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन*

चिकित्सा उप मंत्री (श्री धर्मसिंह)---मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस (डेवलपमेन्ट ऐन्ड वेयर हाउसिंग) कारपोरेशन ऐक्ट, १९५६ की धारा ४२ की उपधारा (५) के अन्तर्गत, उत्तर प्रदेश स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन, लखनऊ के अंशधारियों को लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन" को उक्त धारा ४२ की उपधारा (९) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली, १९५२ के अधीन प्रख्यापित संशोधन

माल मंत्री के सभा-सचिव (श्री बृजबिहारी)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली, १९५२ में राजस्व विभाग के शुद्धि पत्र संख्या १५८३-क/१-क---६१०-६१, दिनांक २८ अक्तूबर, १९६१ तथा विज्ञप्ति संख्या १५८३-ब/१-क---६१०-६०, दिनांक २० नवम्बर, १९६१ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५० की धारा ३४४ की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं इस सिलसिले में श्रीमन्, कि यह जो नियम रखे गए हैं सदन की मेज पर यह नियम विरुद्ध है और इसलिए नियम विरुद्ध हैं कि अक्तूबर और नवम्बर के बने हुए ये नियम हैं । अक्तूबर और नवम्बर के बाद इस विधान सभा के कई सत्र हुए और उस समय सरकार के लिये यह आवश्यक था कि ज्यों ही नियम बनें और वह प्रकाशित हों उसके बाद शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दिये जायं । तो ऐसा नहीं हुआ और मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं और मैं समझता हूं कि आप इसकी उचित व्यवस्था करेंगे ।

श्री अध्यक्ष---इस संबंध में मेरा ऐसा विचार है कि जिस भी सत्र में या अधिवेशन में नियम रखे जायं उस अधिवेशन में सदन की बैठक इतने दिन होनी चाहिए कि नियमों के अन्दर उसके संबंध में आपत्तियां की जा सकें। १४ दिन का समय दिया जाता है । यह अवधि निश्चित होती है और उन १४ दिन के अन्दर उन नियमों

---

*छापे नहीं गये ।

पर बिचार या उनके संबध में आक्षेप किये जा सकते हैं। कदाचित् सरकार ने यह सोचा कि नवम्बर के पश्चात् जो अधिवेशन यहां हुआ उस समय इतनी अवधि तक इस सदन की बैठक नहीं हो सकती थी कि इन नियमों को रखकर उसके ऊपर हम आपत्तियां ले लेते। अतः मेरी समझ में इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके कारण सरकार से कुछ कहा जाय। कई बार ऐसा हुआ है, चूकि मैं एक समिति का अध्यक्ष रहां हूं उसमें मैंने अनुभव किया है कि १४ दिन न होने के कारण अगर सभा की बैठक समाप्त हो गई तो आपत्ति नहीं हो पाती थी। एक वैधानिक प्रश्न यह हो जाता था कि क्या दूसरे सत्र या दूसरे अधिवेशन में उनके संबंध में कोई आपत्ति ली जा सकती है या नहीं। तो ऐसी अवस्था में जहां तक नियमों को इस सदन में रखने का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि वह ऐसे समय में रखे जायं ताकि हमें यह आशा रहे कि १४ दिन अधिवेशन रहेगा और उनके संबंध में उचित कार्य किये जा सकते हैं।

श्री गेंदासिह---श्रीमन्, मैं आपका ध्यान फिर आकर्षित करना चाहता हूं। उसमें स्पष्ट नियम है कि अगर १४ दिन तक सदन की मेज पर न रहे और बीच में सदन उठ जाय तो उन नियमों को पुनः रखना पड़ेगा। यह नियम है। उसमें किसी सरकार के लिये बचत की गुंजायश नहीं है कि सरकार उन नियमों को सदन के बैठते हुए न रखे। तो मैं फिर आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपनी व्यवस्था को रिजर्व कर लें और इस पर विचार-विमर्श कर लें और इसको देख लें। अगर आपकी यह व्यवस्था रहती है तो इससे हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं हो सकेगी, क्योंकि सरकार उन नियमों पर अपनी कार्यवाही कर रही है और सरकार ने सदन की मेज पर अब उनको रखा। इसलिये मैं यह समझता हूं कि आप अपनी व्यवस्था को रिजर्व रखें और विचार-विमर्श के बाद आप जैसी व्यवस्था चाहें, दें।

श्री अध्यक्ष---मेरा निश्चित मत है कि शीघ्रातिशीघ्र वे नियम सदन के समक्ष आने चाहियें। मैं उस नियम का अपवाद नहीं कर रहा हूं। मैंने तो सिर्फ यह बतलाया कि आपकी जो आपत्ति हुई है वह यद्यपि नियम की दृष्टि से ठीक है, लेकिन सरकार के ऊपर भी मैं इस समय कोई आक्षेप या उनके संबंध में कोई विशेष आलोचना का उचित अवसर नहीं समझता। इस वजह से मैंने कहा कि सदन में नियमों का पालन अक्षरशः होगा जब तक कि कोई विशेष आपत्ति हमारे समक्ष न आये।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---माननीय गेंदासिह जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया उस पर उन्होंने प्रार्थना की कि यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिये इस पर आज आप अपनी व्यवस्था न दें। सरकार को नियम सदन में रखने चाहिये। यदि पहले ही सदन उठ जाय तो वे निरस्त हो सकते हैं। यदि इस समय आप व्यवस्था दे देते हैं तो वह एक प्रीसिडेन्ट बन जायगा। इस व्यवस्था को आज न देकर कल या परसों तक के लिये आप स्थगित कर दें, ताकि दूसरों को भी उस पर कहने का मौका मिल जाय और उससे सरकार को यह भी हिदायत हो जायगी कि वह समय पर ये नियम यहां पर पेश कर सके।

श्री अध्यक्ष---यह व्यवस्था मैंने उनके पक्ष में ही दी है।

उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली, १९५७ के अधीन प्रख्यापित संशोधन†

माल मंत्री के सभा-सचिव (श्री बृजबिहारी)---अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था नियमावली, १९५७ में राजस्व विभाग को

†छापा नहीं गया।

[श्री बृजबिहारी]

विज्ञप्ति संख्या ४०५२-क/१-क--३५५२-५९, दिनांक २ जनवरी, १९६२ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५६ की धारा ८६ की उपधारा (६) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण नियमावली, १९६१ के अधीन प्रख्यापित संशोधन*

माल मंत्री के सभा-सचिव (श्री बृजबिहारी)--अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण नियमावली, १९६१ में राजस्व विभाग की विज्ञप्तियां संख्या ५०३७/१-क--२१३३-५९, दिनांक २७ अक्तूबर, १९६१ तथा संख्या ५६२४/१-क--६२४-६०, दिनांक २ जनवरी, १९६२ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, १९६० की धारा ४४ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स, १९४० के अधीन प्रख्यापित संशोधन*

परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गनेशीलाल)--श्रीमन्, मैं यू० पी० मोटर वेहिकिल्स रूल्स १९४० में परिवहन विभाग की विज्ञप्तियां संख्या एम० बी० आर० एम० ए०-२९-२२३५-टी/३०, दिनांक ३० अक्तूबर, १९६१, संख्या एम० बी० आर० ए० एम०-५४४३-टी० एम०/३०-बी, दिनांक ३० अक्तूबर, १९६१, संख्या एम० बी० आर० ए० एम०-३८/३०--६६२४-टी० एम०, दिनांक ८ दिसम्बर, १९६१, संख्या एम० बी० आर० ए० एम -३९-६३६०-टी० एम/३०-बी--८९-पी-६१, दिनांक १३ दिसम्बर, १९६१, संख्या एम० बी० आर० ए० एम०-३२-५२७४-टी० एम०/३०, दिनांक २९ दिसम्बर, १९६१ तथा संख्या एम० बी० आर० ए० एम०-३३-४६९२-टी० एम०/३० बी--१२४-पी-६१, दिनांक २७ नवम्बर, १९६१ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा १३३ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--श्रीमन्, मैं फिर वह आपत्ति उठाना चाहता हूं । दो के लिये आपत्तियां तो इसलिये नहीं उठायीं कि वह राजस्व से संबंध रखती थीं और माननीय मिश्र जी इसी बार सदन में आये हैं, लेकिन परिवहन विभाग की विज्ञप्तियां जो माननीय मंत्री रख रहे हैं वे पहले से यहां थे । मैं समझता हूं कि इसमें भी अनियमितता हुई है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि कम से कम आपकी तरफ से यह पूछा तो जाय कि ऐसा क्यों हुआ ।

श्री अध्यक्ष--देखिये, आपने जो आपत्ति उपस्थित की थी उसको मैंने स्वीकार किया । मैंने केवल यह निवेदन किया था कि जिन परिस्थितियों में मार्च के महीने में बैठक हुई थी वह परिस्थितियां ऐसी थीं कि जिनके कारण सरकार ने यदि इन विज्ञप्तियों को उस समय नहीं रखा तो उसके लिये उस पर आलोचना या आक्षेप नहीं किया जा सकता । लेकिन यह निर्विवाद इस सदन का नियम है कि शीघ्रातिशीघ्र नियमों को इस सदन की मेज पर रखना सरकार के लिये परम आवश्यक है ।

श्री गेंदासिंह--मेरी आपसे प्रार्थना है कि यदि आप कुछ न कहें तो अच्छा हो और वह कम से कम अपनी सफाई तो दे लें । मुमकिन है कि उस सफाई को आप पर्याप्त न समझें और इस प्रकार हमारे हकों की रक्षा हो ।

---

* छापे नहीं गये ।

श्री अध्यक्ष—जो कुछ मुझे मालूम है गेंदासिंह जी, उसको कहने की और पूछने की आवश्यकता नहीं ।

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (कठिनाइयों को दूर करने की) प्रथम आज्ञा, १९६१*

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—श्रीमन्, मैं उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (कठिनाइयों को दूर करने की) प्रथम आज्ञा, १९६१ ई० को उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ५८० की उपधारा (२) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (कठिनाइयों को दूर करने की) प्रथम आज्ञा, १९६२*

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—श्रीमन्, मैं उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (कठिनाइयों को दूर करने की) प्रथम आज्ञा, १९६२ को उत्तर प्रदेश नगर-महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ५८० की उपधारा (२) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

यू० पी० म्युनिसिपल वाटर सप्लाई रूल्स में प्रख्यापित संशोधन*

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—श्रीमन्, मैं यू० पी० म्युनिसिपल वाटर सप्लाई, रूल्स में, जैसे कि वे उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ५७७ के खण्ड (क) के अधीन कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा तथा लखनऊ की नगर महापालिकाओं के क्षेत्राधिकार के भीतर लागू हैं, स्वायत्त शासन विभाग की विज्ञप्ति संख्या ४०४५-डी/नियम-१/९-बी---३०८-डब्लू-६१, दिनांक २४ नवम्बर, १९६१ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को उक्त अधिनियम की धारा ५४० की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

†**श्री उग्रसेन** (जिला देवरिया)—मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अभी आपने रूलिंग दी माननीय गेंदासिंह जी के प्रश्न पर, उस संबध में निवेदन है कि इस सदन की पहले यह परम्परा रही है कि जब कभी ऐसी आपत्तियां उठायी गयी हैं तो पहले माननीय मंत्रिगण उनका उत्तर देते थे , पूरी सफाई देते थे । उनको पहले बताना चाहिये कि यह विज्ञप्तियां पहले सदन में क्यों नहीं रखी जा सकीं और उनकी सफ़ाई से यदि आपको या सदन को संतोष हो जाय तो उनको छोड़ा जाना चाहिये। माननीय मंत्रि-गणों को आपने बुलाया नहीं, उनसे कारण नहीं पूछा कि यह विज्ञप्तियां फाइल में क्यों पड़ी रहीं । तो पहले उनसे पूछ लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न माननीय गेंदासिंह जी ने उठाया था और उसके संबंध में रूलिंग हो चुकी है । अब रूलिंग हो जाने के बाद कदाचित् नेता सोशलिस्ट पार्टी ज्यादा शोभनीय न समझेंगे कि इस प्रश्न को उठायें।

---

* छापे नहीं गये ।

† सदस्य ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उग्रसेन---वह प्रश्न नहीं है। मेरा प्रश्न, श्रीमन्, दूसरा है। मैं तो इस पर आपकी रूलिंग चाहता हूं कि क्या श्रीमन् मंत्री जी को भी यह आदेश देंगे कि वे अपनी सफाई इस संबंध में पेश करें ?

श्री अध्यक्ष---आप कृपया बैठें।

पंचायत राज रूल्स में प्रख्यापित संशोधन*

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)---श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से पंचायतराज रूल्स में, पंचायतराज विभाग की विज्ञप्ति संख्या ५६३५-प/३३---३४८-५८, दिनांक ३० नवम्बर, १९६१ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को यू० पी० पंचायतराज ऐक्ट की धारा ११० की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

युक्त प्रान्तीय बिक्री-कर (अस्थायी) नियम, १९४८ में प्रख्यापित संशोधन*

विद्युत् उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से युक्त प्रान्तीय बिक्री-कर (अस्थायी) नियम, १९४८ ई० में, वित्त (लेखा परीक्षा तथा बिक्री-कर) विभाग की विज्ञप्ति संख्या एस० टी०-४८३८/१०---९४८-६१, दिनांक २ नवम्बर, १९६१ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को उत्तर प्रदेश बिक्री कर ऐक्ट, १९४८ ई० की धारा २४ की उपधारा (५) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियम, १९५४ के अधीन प्रख्यापित संशोधन*

गन्ना विकास राज्य मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)---श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियम, १९५४ ई० में उद्योग विभाग की विज्ञप्ति संख्या ६४२८-एल/१८-सी---१७२३-५३, दिनांक १२ दिसम्बर, १९६१ ई० के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ की धारा २८ की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

नगर महापालिका द्वारा पदों के सर्जन तथा उन पर नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की अर्हताओं, उपलब्धियों तथा सेवा की अन्य शर्तों से सम्बद्ध नियमावली में प्रख्यापित संशोधन*

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)---श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से नगर महापालिका द्वारा पदों के सृजन तथा उन पर नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की अर्हताओं, उपलब्धियों तथा सेवा की अन्य शर्तों से सम्बद्ध नियमावली में नगरपालिका विभाग की विज्ञप्ति संख्या ३६१-म/नि-९ (संशोधन---१) ११-ग---१०३५-कबाल---६०, दिनांक १४ फरवरी, १९६२ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा ५४० की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों) की नियमावली, १९६२*

विद्युत् उप मंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों) की नियमावली, १९६२ को उत्तर प्रदेश

---

* छापे नहीं गये।

विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों का) अधिनियम, १९५२ की धारा ५ की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६१-६२ का तृतीय पूरक) विधेयक, १९६२

सचिव, विधान सभा—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६१-६२ का तृतीय पूरक) विधेयक, १९६२ पर, जिसे उत्तर प्रदेश, विधान सभा ने अपनी ३ मार्च, १९६२ की बैठक में पारित किया था, तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और जो विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के ५ मार्च, १९६२ को वापस प्राप्त हो गया था राज्यपाल महोदय की अनुमति ८ मार्च, १९६२ को प्राप्त हो गई है और वह १९६२ का उत्तर प्रदेश का पहला अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६२

सचिव, विधान सभा—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६२ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ५ मार्च, १९६२ की बैठक में पारित किया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और जो विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के ६ मार्च, १९६२ को वापस प्राप्त हो गया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति ८ मार्च, १९६२ को प्राप्त हो गई है और वह १९६२ का उत्तर प्रदेश का दूसरा अधिनियम बन गया ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव आया है और वह श्री चन्द्रजीत यादव का है । इसका विषय निर्वाचन के संबंध में कुछ त्रुटियों की तरफ संकेत है । चूंकि निर्वाचन के संबंध में राज्यपाल महोदय के संबोधन में भी उल्लेख है, अतः मैं समझता हूं कि यह ऐसा विषय है जो कार्य-स्थगन की अपेक्षा संबोधन में भी विचारणीय हो सकता है। इस दृष्टि से मैंने इसको अस्वीकार किया है ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्, यह ठीक है कि राज्यपाल के संबोधन पर विचार के समय इस पर विचार हो सकेगा, लेकिन जहां आमतौर से कांग्रेस उम्मीदवारों की पराजय हुई है उन क्षेत्रों से सरकारी मशीनों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर करके लोगों को आतंकित किया जा रहा है । झूठे मुकदमें चलाकर लोगों को फंसाना और जहां उन्होंने विरोधी उम्मीदवारों का समर्थन किया है उनको लगान की वसूली के संबंध में आतंकित किया जा रहा है । इस तरह से गहरा असंतोष छाया हुआ है । मैंने पूर्वी जिलों में से कई जिलों का नाम दिया है । यही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश के अन्दर इसी तरह से स्थिति है, इसलिये कार्य-स्थगन प्रस्ताव पेश किया है कि इस पर अलग से विचार कर सकें । सरकार को स्पष्ट आदेश देने चाहिए कि तत्काल इस तरह की कार्यवाही बन्द की जाय ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, एक निवेदन यह है कि राज्यपाल के संबोधन में जरूर चर्चा है, लेकिन उसकी तारीफ की चर्चा है, त्रुटियों की चर्चा नहीं है । जिन त्रुटियों की ओर माननीय चन्द्रजीत जी यादव ने ध्यान दिलाया है, सभी जानते हैं कि क्या जुल्म हो रहा है । ऐसी दशा में केवल कार्य-स्थगन प्रस्ताव द्वारा ही ध्यान आकर्षित किया जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष---ठीक है, अब आप....

श्री उग्रसेन---मुझे खुशी है कि आपने कहा कि ठीक है।

श्री अध्यक्ष---जहां पर प्रशंसा होती है तो उसका अपवाद क्या होता है? आपकी शिकायत। यद्यपि यह धन्यवाद का प्रस्ताव है, किन्तु आप कह सकते हैं कि इन-इन कारणों से ये ये बातें खराब हैं। तो जहां एक तरफ प्रशंसा होती है, जहां एक तरफ समर्थन होता है, उसके विपरीत आप क्या करते हैं? आपको अधिकार है बोलने का। तो यह तो कोई बहस नहीं है।

अब माननीय चन्द्रजीत यादव को अधिकार है कि प्रश्नों द्वारा, चाहे अल्पसूचित प्रश्न हों, मैं यह तो नहीं कहता कि उन्हें स्वीकार करूंगा ही, लेकिन जो जो बातें वह जानना चाहते हैं या कोई स्पेसिफिक बात उनके पास है तो उनके संबंध में प्रश्न पूछ सकते हैं। अतः इस दृष्टि से मैंने इसको अस्वीकार किया है।

श्री उग्रसेन---नियम ५२ में भी तो मौका दिया जा सकता है? आप उसमें तो मौका देंगे?

श्री अध्यक्ष---मैंने सुन लिया। मैं यहां परामर्श देने नहीं बैठा हूं। आप अगर उचित समझते हैं तो नियम ५२ में नोटिस दीजिये या अल्पसूचित प्रश्न कीजिये। जिस समय मेरे सामने प्रश्न आयेंगे तो सब परिस्थितियों को देखकर मैं अपना निर्णय दूंगा।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---अध्यक्ष महोदय, मैंने....

श्री अध्यक्ष---मैंने निर्णय दे दिया, आप बैठ जाइये।

श्री नेकराम शर्मा---मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि कार्य-स्थगन का प्रस्ताव अपनी एक महत्ता रखता है, वह यह कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जिससे सारे प्रदेश की जनता क्षुब्ध है, उनको कार्य-स्थगन प्रस्ताव द्वारा ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष---कृपया आप अपना आसन ग्रहण करें। मेरे निर्णय के बाद अब यह सब अच्छा नहीं लगता। हम आपसे परामर्श लेंगे जब आवश्यकता होगी, इस समय आप बैठें।

नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---मेरे पास नियम ५२ के अन्तर्गत ७ नोटिस आये हैं। इनमें से मैंने माननीय चन्द्रजीत यादव का जो नोटिस है वह एक स्वीकार किया है। और चूंकि एक दिन में एक ही नियम ५२ का प्रश्न स्वीकार किया जा सकता है इस वजह से अब दूसरी जितनी नोटिसें हैं वह स्वयमेव समाप्त हो जाती हैं। मैं उसको पढ़े देता हूं:

"राज्य के औद्योगिक केन्द्र, कानपुर में जे० के० रेयन फैक्टरी के औद्योगिक विवाद के कारण लगभग १,४०० मजदूर गत ६९ दिनों से हड़ताल कर रहे हैं। मजदूरों की मांगें उनके बोनस, अस्थायी नौकरियों आदि से संबंधित हैं। इतनी लम्बी हड़ताल के कारण उत्पादन में भारी क्षति हो रही है। मजदूरों में से ४५० अपनी नौकरियों से हटा दिये गये हैं। इन परिस्थितियों में बेकारी और भुखमरी की हालत उत्पन्न हो गई है। राज्य का श्रम विभाग अपने दायित्व को पूर्ण नहीं कर रहा है। फलस्वरूप कानपुर के मजदूर वर्ग में घोर असंतोष है। अतः मैं इस अविलम्बनीय महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर संबंधित मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।"

श्रम मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)——यह हड़ताल जनवरी से चालू है। ऐसी ५ हड़तालें इस कारखाने में हो चुकी हैं। पिछड़ी जो हड़ताल थी वह इल्लीगल स्ट्राइक होने के कारण, जब सुलह हुई थी तो स्ट्राइकर्स ने माफी मांगी थी और उन्होंने यह कहा था कि आइन्दा ऐसी हड़ताल नहीं करेंगे जब तक कि सारे कांस्टीट्यूशनल तरीके टटोल नहीं लेंगे लेकिन उसके बावजूद भी यह इल्लीगल हड़ताल उन्होंने की। हमारे डिपार्टमेन्ट के लोग इस तरफ काफी ध्यान दे रहे हैं। इस विषय के पूरे डिटेल्स तो इस समय मुझे मालूम नहीं हैं, दो दिन के बाद मैं वक्तव्य देने को तैयार हूं।

श्री नरसिंह नारायण (जिला गोरखपुर)——श्रीमन्, मैं एक सूचना चाहता हूं। मैंने भी नियम ५२ के अन्तर्गत एक प्रश्न जो ओलों के संबंध में था, दिया था....

श्री अध्यक्ष——मैंने आपसे पहले निवेदन किया कि जितनी नोटिसेज आई थीं उनमें से महत्वपूर्ण विषय मैंने जिसमें समझा उसको स्वीकार कर लिया। एक दिन में चूंकि एक ही नोटिस स्वीकार होती है अतः दूसरी समाप्त हो जाती हैं। इसलिये अब कोई प्रश्न ही नहीं रहता।

समाचार-पत्रों में असत्य प्रकाशन

श्री अध्यक्ष——कुछ समाचार-पत्रों में मैंने देखा कि इस सदन के माननीय सदस्यों के सम्बन्ध में यह कहा गया था कि शपथ लेते समय या शपथ देने के पश्चात बजाय इसके कि वे हस्ताक्षर करते, उन्होंने रजिस्टर पर अंगूठे के निशान लगाये। यह बात बिल्कुल गलत है, निराधार है और असत्य है। मैं यहां की प्रेस गैलेरी से विशेष रूप से कहूंगा कि इस प्रकार जो सूचनायें समाचार-पत्रों में चली जाती हैं उनसे इस सदन की मर्यादा के ऊपर आघात होता है। अतः उनका कर्त्तव्य यह है कि इस प्रकार की बातों को, जब तक कि वे सदन में स्वयं उपयुक्त या सम्बन्धित अधिकारियों से उसको कन्फर्म न करलें, अखबारों, में न जाने दें। अभी सचिव ने मुझे दिखलाया कि जो गलत बात छपी उसको एक समाचार-पत्र ने कन्ट्राडिक्ट कर दिया है, लकिन मैं समझता हूं यह पर्याप्त नहीं है। किसी के सम्बन्ध में कुछ कह देना और फिर उसका कन्ट्राडिक्शन निकालना इससे मैं समझता हूं कि कम से कम मेरा समाधान नहीं होता। मैं चाहूंगा प्रेस के लोग इस ओर ध्यान रखेंगे।

अधिष्ठाता मण्डल के लिए नाम-निर्देशित सदस्यों के नामों की सूचना

श्री अध्यक्ष——मैं आपके सामने अधिष्ठाता मण्डल के कुछ नाम बता दूं, उन्हीं को मैंने नियमानुसार मनोनीत किया है। वे इस प्रकार हैं——

(१) श्री जगदीशशरण अग्रवाल
(२) श्री होतीलाल
(३) श्री केशव गुप्त
(४) श्री जगदीशप्रसाद
(५) श्री मुकुन्दीलाल
(६) श्री जगनप्रसाद रावत
(७) कुंवर श्रीपालसिंह।

इस अधिष्ठाता मण्डल के तीन सदस्यों को मैं बाद म मनोनीत करूंगा। इस सम्बन्ध में और विरोधी दलों से मैं बातचीत कर रहा हूं। और कुछ दिनों में उनकी भी घोषणा कर दूंगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)——यह जो आपने अधिष्ठाता-मण्डल के सदस्यों के नामों की घोषणा की क्या उनके बारे में विरोधी पार्टी के नेताओं से राय श्रीमन् ने ली थी?

श्री अध्यक्ष—सोशलिस्ट पार्टी के नेता बहुत अधीर मालूम पड़ते हैं। मैंने स्वयं ही कहा कि अभी तीन नामों की घोषणा मैं और करूंगा और अभी तक जिन विरोधी पार्टियों से बातचीत नहीं कर सका हूं, उनसे भी करूंगा।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, यह उपाध्यक्ष का पद विरोधी पक्ष को मिलता है क्या उसके बारे में भी कोई बातचीत आपने माननीय नेता सदन से अथवा माननीय नेता विरोधी पक्ष से की है।

श्री अध्यक्ष—इस समय इसके बारे में मुझे कुछ मत देना नहीं है और न उपाध्यक्ष के सम्बन्ध में मैं यहां कुछ कह ही सकता हूं। मैं समझता हूं कि यह सदन की विभिन्न पार्टियों का काम है कि वे आपस में परामर्श करके जैसा उचित समझें करें।

उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था (नियंत्रण) अधिनियम, १९५६ के लिये ३ सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में प्रस्ताव

समाजकल्याण उप मंत्री (श्रीमती प्रकाशवती सूद)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि यह विधान सभा जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आज्ञा दें उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था (नियन्त्रण) अधिनियम, १९५६ की धारा ५ और ६ के अधीन पुनस्संगठित किये जाने वाले प्रशासकीय बोर्ड में कार्य करने के लिये विधान सभा के तीन सदस्यों का निर्वाचन करने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह विधान सभा जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश महिला संस्था तथा बाल संस्था (नियन्त्रण) अधिनियम, १९५६ की धारा ५ और ६ के अधीन पुनस्संगठित किये जाने वाले प्रशासकीय बोर्ड में कार्य करने के लिये विधान सभा के तीन सदस्यों का निर्वाचन करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और उप मंत्रियों (के वेतन तथा भत्तों) का (संशोधन) विधेयक, १९६२

विद्युत् उपमंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—श्रीमन, आपकी आज्ञा से मैं, उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और उपमंत्रियों (के वेतन तथा भत्तों) का (संशोधन) विधेयक, १९६२ [The U. P. Ministers and Deputy Ministers (Salaries and Allowances) (Amendment) Bill, 1962.] पुरःस्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और उपमन्त्रियों के वेतन तथा भतों का (संशोधन) विधेयक, १९६२ [The U. P. Ministers and Deputy Ministers (Salaries and Allowances) (Amendment) Bill, 1962.] पुरःस्थापित करने के लिये सदन अनुज्ञा दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—अगर वृद्धि के लिये यह विधेयक है, तब तो सोशलिस्ट पार्टी इसका विरोध करेगी क्योंकि अनावश्यक ढंग से मन्त्रिमण्डल का विस्तार किया गया है।

श्री अध्यक्ष—एक बात मैं साफ कहना चाहता हूं। मेरी इच्छा बिलकुल नहीं है कि किसी भी माननीय सदस्य के प्रति मैं कोई ऐसी बात कहूं जो उसके दिल को दुखाए लेकिन

मेरी प्रार्थना यह है कि बीच-बीच में ऐसी बातों को और असंगत बातों को उपस्थित करना इस सदन में शोभा नहीं देता। अगर इस बिल में किसी मन्त्री के या उनके वेतन के बढ़ाये जाने का प्रश्न आया है तो जिस समय उसका समय हो उसको कहना चाहिये। यह तो केवल अनुज्ञा प्राप्त की जा रही है कि हमें इसे उपस्थित करने दो। उपस्थित करने में, सम्भव है उसमें कमी आती हो, वेतन कम किया गया हो, तो मेरी प्रार्थना है कि यहां असंगत प्रश्न नहीं आने चाहिये।

श्री उग्रसेन—पार्लियामेंटरी पद्धति में हमें अधिकार है।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश के मन्त्रियों और उपमन्त्रियों (के वेतन तथा भत्तों) का (संशोधन) विधेयक, १९६२ [The U.P. Ministers and Deputy Ministers (Salaries and Allowances) (Amandment) Bill, 1962.] पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४१–४५ पर)

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९६२

गन्ना विकास राज्य मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९६२ [Uttar Pradesh Ganna (Poorti Tatha Kharid Viniyaman) (Sanshodhan) Bill, 1962.] पुरःस्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९६२ [Uttar Pradesh Ganna (Poorti Tatha Kharid Viniyaman) (Sanshodhan) Bill, 1962] पुरःस्थापित करने के लिये सदन अनुज्ञा दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री दाऊदयाल खन्ना—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९६२ [Uttar Pradesh Ganna (Poorti Tatha Kharid Viniyaman (Sanshodhan) Bill, 1962.] पुरःस्थापति करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४६–४९ पर)

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९६२

गन्ना विकास राज्य मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९६२ [Uttar Pradesh Ganna (Karaya Kar) (Sanshodhan) Bill, 1962.] पुरः स्थापति करने के लिये सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९६२ [Uttar Pradesh Ganna (Karya Kar) (Sanshodhan) Bill, 1962] पुरःस्थापति करने के लिये सदन अनुज्ञा दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री दाऊदयाल खन्ना—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९६२ [Uttar Pradesh Ganna (Karya Kar) (Sanshodhan) Bill, 1962.] पुरःस्थापति करता हूं।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ५०–५२ पर)

उत्तर प्रदेश टाउन इम्प्रूवमेंट (अवस्थानुकूल परिवर्तन) (संशोधन) विधेयक, १९६२

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश टाऊन इम्प्रूवमेंट (अवस्थानुकूल परिवर्तन) (संशोधन) विधेयक, १९६२ [The Uttar Pradesh Town Improvement (Adaptation) (Amendment) Bill, 1962.] पुरःस्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश टाउन इम्प्रूवमेंट (अवस्थानुकूल परिवर्तन) (संशोधन) विधेयक, १९६२[The Uttar Pradesh Town Improvement (Adaptation) (Amendment) Bill, 1962.] पुरःस्थापित करने के लिये सदन अनुज्ञा दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, इसकी प्रतियां हमें नहीं मिली हैं, हमारी मजबूरी है बार-बार उठना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष—क्या आपने वहां पर जो पिजिनहोल्स हैं वे देखे हैं?

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, अब तक आप से पहले ऐसी व्यवस्था रही है कि वे पार्टियों के दफ्तर में भेज दिये जाते हैं।

श्री अध्यक्ष—हो सकता है कि मैं अभी उस प्रथा को न जानता होऊं।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, अनुज्ञा तो अभी दी गई है, बाद में ही तो पुरःस्थापित होगा।

(कुछ ठहर कर)

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश टाउन इम्प्रूवमेंट (अवस्थानुकूल परिवर्तन) (संशोधन) विधेयक, १९६२ [The Uttar Pradesh Town Improvement (Adaptation) (Amendment) Bill, 1962.] पुरःस्थापित करता हूं। अब प्रति उनको मिल जायगी।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ५३–५५ पर)

एपीडेमिक डिजीजेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६२

समाजकल्याण मंत्री (श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव)—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से एपीडेमिक डिजीजेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६२ [Epidemic diseases (U. P. Amendment) Bill, 1962.] पुरःस्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि एपीडेमिक डिजीजेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६२ [Epidemic diseases (U. P. Amendment) Bill, 1962.] पुरःस्थापित करने के लिये सदन अनुज्ञा दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से एपीडेमिक डिजीजेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६२ [Epidemic diseases (U. P. Amendment) Bill, 1962.] पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ५६–५७ पर)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के समय समाजवादी दल द्वारा सदन परित्याग के संबंध में श्री अध्यक्ष का सुझाव

श्री अध्यक्ष--उठने से पहले मुझे बड़े खेद से इस सदन का ध्यान उस घटना के प्रति आकर्षित करना है जो आज माननीय राज्यपाल के सम्बोधन के पूर्व इस सदन में घटी है। यद्यपि यह सत्य है कि हमारी नियमावली में यह संकेत या यह नियम स्पष्ट रूप से नहीं है कि श्री राज्यपाल जिस समय सम्बोधन करने आयें तो क्या व्यवहार हमारा होना चाहिये किन्तु आज जो घटना हुई और जिस से मुझे खेद हुआ और मैंने उचित समझा कि मैं इस सम्बन्ध में कुछ अध्ययन करूं। मुझे मद्रास की नियमावली देखने को मिली और उस नियमावली के अनुसार माननीय राज्यपाल जब सम्बोधनार्थ सदन में उपस्थित हों तो उनकी मौजूदगी में कोई बात, कोई व्यवधान, कोई इस प्रकार, का व्यवहार, जो अपमानसूचक हो, उसको ब्रीच आफ प्रिविलेज आफ दि हाउस माना गया है। मैं यह नहीं कहता कि मैं भी उसे ब्रीच आफ प्रिविलेज मानूं लेकिन एक सभ्य समाज में दूसरे सभ्य समाज का अनुकरण अवश्य किया जाता है और मैं समझता हूं कि मद्रास विधान सभा का जो नियम है वह एक स्वस्थ और सुन्दर नियम है। मैं अपने आदरणीय सोशलिस्ट पार्टी के नेता का ध्यान इसके प्रति आकर्षित करूंगा और प्रत्येक सदस्य से जो इस सदन में हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि इस पर विचार करें और आवश्यकता अगर समझें यह सदन तो हम उचित रूप से अपने नियमों में भी संशोधन कर सकते हैं।

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ३ बजकर ५१ मिनट पर, अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
२७ मार्च, १९६२।

नत्थी 'क'

(देखिये पीछे पृष्ठ १७ पर)

राज्य विधान-मंडल के दोनों सदनों के समक्ष उनके २७ मार्च, १९६२ को प्रारम्भ होने वाले प्रथम सत्र में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल डाक्टर बूरूगुल राम कृष्णराव का अभिभाषण

विधान परिषद् के सभापति, विधान सभा के अध्यक्ष, तथा विधान मण्डल के सदस्यगण,

हाल में हुये सामान्य निर्वाचन के फलस्वरूप विधान सभा का संघटन होने के बाद विधान-मंडल के दोनों सदनों के प्रथम सत्र का आज प्रारम्भ है। ऐसे समय पर आपको सम्बोधित करते हुये मुझे गौरव का अनुभव होता है। इस अवसर पर विधान सभा के नव-निर्वाचित सदस्यों का स्वागत करते हुये मैं उन्हें बधाई देता हूं कि वे जनता का विश्वास प्राप्त करके पांच वर्ष तक उसकी सेवा करने के लिये चुने गये हैं। हमारे जो साथी चुने नहीं जा सके, हमें उनका अभाव खटकेगा, किन्तु साथ ही मुझे विश्वास है कि नये सदस्य न केवल सदन की उच्च परम्पराओं को बनाये रखेंगे बल्कि अपने प्रयत्नों तथा विचार-विमर्श से राज्य की प्रगति तथा समृद्धि में भी बहुत कुछ योग देंगे।

अपने लिये भारत का संविधान निर्मित करके हमने अपने को सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य घोषित किया। हाल में होने वाला सामान्य निर्वाचन उक्त घोषणा के बाद अपने ढंग का तीसरा निर्वाचन था। जिस शान्ति तथा निष्पक्षता के साथ यह निर्वाचन सम्पन्न हुआ उससे यही प्रकट होता है कि जनतांत्रिक सिद्धान्तों में हमारा अडिग विश्वास है।

यह मेरी सरकार के लिये, तथा स्वयं मेरे लिये भी, बड़े सन्तोष की बात है कि जिन कर्मचारियों पर निर्वाचन कराने का बहुत बड़ा भार डाला गया उन्होंने अपने दायित्व और कर्त्तव्य का निर्वाह पूरी तौर पर तथा निष्पक्षता से किया। इसके लिये प्रशंसा के पात्र हैं। उनके इस प्रकार के कार्य के बिना स्वतन्त्र, न्यायपूर्ण तथा निष्पक्ष निर्वाचन, जो कि सफल जनतन्त्र का आधार-स्तम्भ है, सम्भव नहीं होता। इस अवसर पर मैं उन कर्मचारियों की कर्त्तव्य परायणता तथा उनके कार्य का महत्व स्वीकार करता हूं।

जैसा कि आप जानते हैं, मैंने श्री चन्द्रभानु गुप्त को विधान सभा में बहुमत वाले दल के नेता के रूप में सरकार बनाने के लिये आमन्त्रित किया। गत वर्ष ऐसे ही अवसर पर मैंने उनमें प्रशासक तथा अथक कार्यकर्त्ता के गुण होने का उल्लेख किया था। मुझे खुशी है कि उनसे जो आशा की थी उसे उन्होंने पूरा ही नहीं किया, बल्कि वे इस राज्य को सफलतापूर्वक प्रगति के पथ पर ले जाने में भी समर्थ हुये हैं। मुझे विश्वास है कि समाजवादी ढांचे का समाज बनाने का मेरी सरकार का जो घोषित लक्ष्य है उसके लिये वे और भी उत्साह के साथ प्रयत्न करते रहेंगे।

श्री चन्द्रभानु गुप्त के नेतृत्व में मेरी जो सरकार हाल ही में बनी है उसे अभी इस बात के लिये काफी समय नहीं मिला है कि वह जिस नीति का अनुसरण करेगी उसके ब्योरों पर विचार करके उन्हें तैयार कर सके। मुझे आशा है कि मेरी सरकार १९६२-६३ का बजट पेश करते समय तक आपके सामने एक अधिक विस्तृत रूपरेखा रख सकेगी। अतः मैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण मामलों का ही, जिनमें आपकी दिलचस्पी हो सकती है, संक्षेप में उल्लेख करूंगा तथा आपको इस सत्र के लिये बुलाने के कारणों की भी सूचना दूंगा।

जैसा कि शीघ्र विकासोन्मुख समाज में होना भी चाहिये, आयोजना हमारी राज्यनीति का अभिन्न अंग हो गई है। तीसरी पंचवर्षीय आयोजना का पहला वर्ष पूरा हो रहा है। इस तीसरी आयोजना के लिये ४९७ करोड़ रुपये की लागत में से, राज्य के बजट तथा उसके अनुपूरक बजटों में सन् १९६१–६२ में ७२.१७ करोड़ रुपये के व्यय की व्यवस्था की गई थी। आशा है कि विदेशी विनिमय के अभाव, आवश्यक निर्माण-सामग्री-विशेषतः ईंटें पकाने के कोयले-की अत्यन्त कमी तथा परिवहन की अड़चनों आदि कठिनाइयों के होते हुये भी बजट की धनराशि के काफी भाग का उपयोग किया जा सकेगा। आयोजनागत योजनाओं की प्रगति की वित्तीय तथा भौतिक दोनों दृष्टियों से बराबर समीक्षा तथा मूल्यांकन किया जाता रहा है। पर्याप्त प्रशासकीय कर्मचारियों की व्यवस्था करने, अड़चनें दूर करने तथा अपव्यय रोकने के लिये भी संगठित प्रयास किया गया है। किन्तु अभी तक परिवहन तथा निर्माण-सामग्री की समस्याओं को हल करना सम्भव नहीं हो सका है। इन्हें शीघ्र हल करना आवश्यक है। जिससे कि तीसरी पंचवर्षीय आयोजना का कार्यान्वय सरल हो जाये।

समाज के विकास में सहकारिता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिये मेरी सरकार का राज्य की स्थिति के अनुकूल एक नयी सहकारिता-नीति अपनाना ठीक ही है। इस नीति से––विशेषतया साधन सहकारी समितियों के द्वारा––शनैः शनैः, किन्तु दृढ़ता के साथ, गांवों की अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं। तीसरी आयोजना की अवधि के अन्त तक सभी गांव सभाओं के लिये ऐसी सहकारी समितियां बन जाने की आशा है। समितियों ने ऋण देने का आधार भूमि सम्बन्धी हैसियत के स्थान पर अपने सदस्यों की उत्पादन आवश्यकता को बना दिया है। मेरी सरकार ने एक विशेष अशोध्य ऋण सुरक्षित निधि (Special Bad Debt Reserve) बनाने के लिये, वर्ष में दिये गये अतिरिक्त ऋणों के ३ प्रतिशत के हिसाब से प्रत्येक प्रारम्भिक समिति की निधियों में सीधे अंशदान देने और साथ ही सेंट्रल कोआपरेटिव बैंकों को उनके द्वारा दी गई अतिरिक्त धनराशि के १ प्रतिशत की दर से सीधे अनुदान देने का भी निश्चय किया है। इससे यह आशा है कि इस राज्य की ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था और अधिक प्रगतिशील तथा विकसित होगी।

मेरी सरकार की सहकारिता-सम्बन्धी नीति का एक दूसरा महत्वपूर्ण कार्य-क्षेत्र कृषि-योजना है। इसके अन्तर्गत बदलती हुई दशाओं में सहकारी फार्मों के सफल संगठन और उनके प्रवर्तन के लिये समुचित प्रविधियां (techniques) विकसित करने के उद्देश्य से अग्रगामी परियोजनायें (पायलट प्रोजेक्ट्स) स्थापित करने का विचार है। इसकी शुरुआत की जा चुकी है और तीसरी आयोजना में इस राज्य को प्रदिष्ट ४५ अग्रगामी परियोजनाओं में से (जिनमें प्रत्येक में १० सहकारी कृषि समितियां हैं) ३० अग्रगामी परियोजनायें सहकारी रूप से उन्नत प्रसार खंडों में संगठित की जा रही हैं। प्रत्येक अग्रगामी समिति को उसकी अंश-पूंजी बढ़ाने के निमित्त ऋण, राज्य सहायता तथा अंशदान के रूप में विशेष सहायता दी जायगी। मेरी सरकार की नीति समितियों को पूर्णतया स्वैच्छिक प्रकार के संगठनों के रूप में कार्य करने देने तथा व्यक्तियों का भूमि पर स्वामित्व रहने देने की है।

मेरी सरकार की सहकारिता–सम्बन्धी नयी नीति की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिये सहकारी समिति विषयक वर्तमान अधिनियम के स्थान पर एक नया अधिनयिम बनाने का विचार हुआ था। तदनुसार पिछली विधान सभा में एक विधेयक पुरःस्थापित किया गया था। किन्तु वह अधिनयिम न बन सका तथा विधान सभा के विघटित होने पर व्यपगत (lapse) हो गया। यह विधेयक आपके सामने फिर से लाया जायगा और आप से उस पर विचार करने के लिये कहा जायगा।

हमारे जैसे राज्य के लिये, जिसकी अर्थ-व्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आश्रित है, कृषि को तृतीय पंचवर्षीय आयोजना में यथोचित प्राथमिकता मिलनी चाहिये थी और अनिवार्य रूप से मिली है। मुझे हर्ष है कि इस दिशा में किये गये कठिन प्रयासों के बल पर मेरी सरकार खाद्यान्नों की पैदावार बढ़ाने और उनके मूल्यों को उचित सीमाओं के भीतर रखने में भी सफल हुई है

मेरी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बीज-गुणन फार्मों (Seed Multiplication Farms) के लिये भूमि अर्जित करने की नीति त्याग दी है और यह निश्चय किया है कि तीसरी आयोजना की अवधि पर्यन्त बीजों की आवश्यकताओं की पूर्ति वर्तमान सरकारी फार्मों की पैदावार बढ़ाकर की जाये।

१९६१ में राज्य की खाद्य-स्थिति संतोषजनक रही और मूल्यों के सामान्य रहने के कारण सरकारी संग्रह से खाद्यान्नों की मांग काफी गिर गयी। किन्तु दिसम्बर, १९६१ के दूसरे पखवारे में रबी के खाद्यान्नों के मूल्यों में फसल का समय न होने के कारण वृद्धि हुई। मूल्यों के बढ़ने की प्रवृत्ति को रोकने के उद्देश्य से उचित मूल्य की दूकानों के माध्यम से खाद्यान्नों के वितरण में उदारता बरती गयी और अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये आयात किये गये गेहूं और विशुद्ध आटे की पूर्ति की पर्याप्त व्यवस्था की गयी। उत्पादन की मात्रा के अनुपात से उगाही की प्रणाली (levy system) के अन्तर्गत चावल की खरीदारी अब भी जारी है और २७ जनवरी, १९६२ को राज्य सरकार के पास लगभग ७३,०६८ टन गेहूं था। विनियमन के अन्य उपाय भी जारी हैं।

सारे राज्य में १ अप्रैल, १९६२ से व्यापार और वाणिज्य में दाशमिक बाटों का प्रयोग अनिवार्य हो जायेगा। पंच महानगरियों (Kaval Towns) में तथा मेरठ, झांसी, गोरखपुर, बरेली और मुरादाबाद के नगरपालिका क्षेत्रों में इनका प्रयोग १ अक्तूबर, १९६० से ही अनिवार्य कर दिया गया है। उक्त नगरों में धारिता (capacity) के दाशमिक मापों का प्रयोग १ मई, १९६२ से अनिवार्य हो जायेगा और लम्बाई के दाशमिक मापों का प्रयोग राज्य भर में १ अक्तूबर, १९६२ से अनिवार्य हो जायगा।

रेलगाड़ियों की कठिनाई के कारण "साफ्ट कोक" और ईंट पकाने के लिये "स्लैक कोल" की सप्लाई में कमी बनी रही। इस कमी को दूर करने के लिये भारत सरकार की सलाह के अनुसार उनको नियोजित रूप से पूरी गाड़ियों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया गया और कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, तथा मेरठ में कोयले के संग्रह बनाये गये। कोयले के अन्य संग्रह बनाने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। फिर भी कोयले के परिवहन के लिये बड़ी लाइन के डब्बों की अब भी बहुत कमी है। राज्य सरकार समय-समय पर भारत सरकार पर इस बात के लिये जोर देती रही है कि इस राज्य के लिये ऐसे वैगनों की संख्या बढ़ाई जाये। कोयले की सप्लाई को बढ़ाने के लिये छोटी लाइन वाली रेल द्वारा तथा सड़क से कोयला ले जाने के वैकल्पिक तरीकों को भी अजमाया जा रहा है।

वनों से हमारी बहुत सी—दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। और साथ ही वे मिट्टी तथा नमी के सम्बन्ध में अनेक रक्षण-कार्य भी करते हैं। राज्य का शीघ्रता से औद्योगीकरण होने के साथ—विशेषकर कागज और लुगदी दियासलाई की लकड़ी, प्लाईउड तथा पैकिंग केसों आदि के उद्योगों के लिये—अनेक प्रकार की वन-उपज की मांग बहुत बढ़ गई है। भविष्य में इस मांग के और भी बढ़ने की सम्भावना है। इसकी पूर्ति के लिये मेरी सरकार ने बड़े पैमाने पर वन-रोपण कार्यक्रम अपनाने और वनों में यातायात के साधन विकसित करने के साथ-साथ औद्योगिक महत्व की लकड़ी वाले और (लुगदी की व्यवस्था के लिये) शीघ्रता से उगने वाले वृक्षों को लगाकार कम मूल्य के वनों को मूल्यवान वनों में परिवर्तित करने की एक योजना भी तैयार की है। इसके अतिरिक्त मेरी सरकार द्वारा गांवों के आस-पास वन लगाने (फार्म फारेस्ट्री) की भी एक योजना चलाई गई है, जो गांवों में इमारती तथा जलाने की लकड़ी के और चारे के संग्रह बनाने की दिशा में एक कदम है। इससे न केवल इन आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में ग्रामीणों को सहायता मिलेगी, अपितु इस प्रकार गोबर की खाद को जलाने के स्थान पर खेतों में इस्तेमाल करने से भूमि की उर्वरता बढ़ाने में भी सहायता मिलेगी।

द्वितीय आयोजना-काल में उद्योगों के शीघ्र विकास किये जाने के लिये जो प्रोत्साहन दिये गये उनके फलस्वरूप तृतीय और उसके बाद आयोजनाओं के अन्तर्गत द्रुतगति से औद्यो-

FA 305 1

13607

गीकरण के लिये राज्य में एक प्रगति उत्पन्न हो गई है। चालू वित्तीय वर्ष में राज्य वृहत उद्योग परामर्श परिषद् (स्टेट लार्ज इंडस्ट्रीज एडवाजयरी बोर्ड) तथा उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम (यू० पी० स्टेट इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन) की स्थापना इस उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सार्वजनिक क्षेत्र में भारत सरकार ने इस राज्य में बिजली के बड़े उपकरण बनाने के एक सन्यन्त्र (हैवी इलेक्ट्रिकल्स मैनुफैक्चरिंग प्लाण्ट), एक प्रतिजीव सन्यन्त्र (ऐण्टी बायोटिक्स प्लान्ट), एक उर्वरक बनाने के कारखाने (फर्टिलाइजर फैक्ट्री) तथा एक डीजेल इन्जनों के कारखानें (डीजेल लोकोमोटिव्स फैक्ट्री) की अनुमति दी है। इस क्षेत्र के ये विशिष्ट विकास-कार्य हैं।

ग्राम्य और लघु उद्योगों के क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत जो कार्य आरम्भ किये गये हैं, उनका उद्देश्य यह है कि उत्पादन के नये तरीकों को प्रोत्साहन दिया जाय तथा उदार वित्तीय सहायता, क्रय-विक्रय-सुविधाओं, सामान्य सुविधा सेवाओं तथा प्राविधिक ज्ञान के प्रसार की व्यवस्था की जाय और ग्रामीण तथा शहरी दोनों ही क्षेत्रों में औद्योगिक-आस्थान (estates) स्थापित किये जायें।

गन्ना उद्योग इस राज्य के प्रमुख उद्योगों में से है। यह प्रसन्नता की बात है तथा गन्ना तथा शक्कर के उत्पादन को बढ़ाने के लिये मेरी सरकार ने जो कार्यवाहियां की उनका अच्छा परिणाम हो रहा है। द्वितीय आयोजना के अन्तिम वर्ष में ३७३.५१ लाख टन गन्ना तथा १४.०४ लाख टन शक्कर का उत्पादन हुआ, जितना कि वास्तव में इससे पहले कभी नहीं हुआ था। परन्तु मेरी सरकार इस बात से चिन्तित है कि गन्ना उपजाने वाले क्षेत्र में वृद्धि हुई है और वह बढ़ते बढ़ते २५ लाख एकड़ तक पहुंच गया है। गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में होने वाली इस अव्यवस्थित वृद्धि को रोकने के लिये, और साथ ही तृतीय पंचवर्षीय आयोजना की अवधि में सहकारी समितियों के माध्यम से छोटी सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था द्वारा प्रति एकड़ उत्पादन में वृद्धि करने के लिये कार्यवाही की गई है।

तीसरी आयोजना की अवधि में सिंचाई से निजी साधनों का काफी प्रसार करने का विचार है। उत्तर प्रदेश तकावी नियमों को उदार बना दिया गया है ताकि अधिक व्यक्ति इन ऋणों से लाभ उठा सकें। गन्ना यूनियनों, साधन सहकारी समितियों (सर्विस कोआपरेटिव) तथा बड़ी-बड़ी समितियों द्वारा अपने-अपने नियन्त्रण-क्षेत्रों में ऋणों का उपयोग किये जाने के लिये विशेष नियम भी बनाये गये हैं। विस्तारित कार्यक्रम में निजी अधिकरणों के सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिये यह भी निश्चय किया गया है कि प्रयोग के रूप में ६ चुने हुये जिलों में निजी संगठनों द्वारा आरम्भ की गई कुओं की गहरी खुदाई के लिये राजकीय सहायता दी जाये।

तीसरी आयोजनावधि में कार्यान्वित की जाने वाली अधिक महत्वपूर्ण बड़ी सिंचाई योजनाओं में रामगंगा बहुप्रयोजन परियोजना, माताटीला बांध परियोजना, शारदा सागर परियोजना (प्रक्रम २), सरयू नदी परियोजना तथा गंडक नदी परियोजना का उल्लेख किया जा सकता है। इनमें अन्तिम इस राज्य का और बिहार राज्य का सम्मिलित उपक्रम है। यह आशा है कि इन परियोजनाओं तथा अन्य योजनाओं के निष्पादित और पूर्ण होने पर तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंत में इस राज्य के पास १४५ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई करने की सामर्थ्य होगी। यह भूमि राज्य के कुल कृषियोग्य क्षेत्र की लगभग २५ प्रतिशत होगी।

पिछले कुछ वर्षों से बराबर बाढ़ इस राज्य के लिये अभिशाप बन रही है, जिससे मेरी सरकार बहुत चिंतित है। इसे दूर करने के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना में बाढ़ रोकने के कार्यों की व्यवस्था की गयी है। इनके पूरे हो जाने पर, उस लगभग १०·५ लाख एकड़ क्षेत्रफल के अतिरिक्त जिसके संरक्षण की व्यवस्था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंत तक की जा चुकी है लगभग १० लाख एकड़ भूमि का और संरक्षण होगा।

बिजली-शक्ति में तदनुरूप वृद्धि किये बिना औद्योगिक विकास की कल्पना कठिन है। इसी लिये मेरी सरकार द्रुतगति से औद्योगीकरण के लक्ष्य को सामने रख कर, विभिन्न योजनाओं

द्वारा बिजली पैदा करने की क्षमता में वृद्धि करने के प्रयत्न करती रही है राज्य की तृतीय पंचवर्षीय आयोजना में बिजली शक्ति के लिये १०७.५९ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। इनमें से ९ करोड़ रुपयों की योजना गांवों में बिजली लगाने के लिये है तथा १३.५२ करोड़ रुपये बिजली ले जाने और बांटने के लिये और शेष रुपये बिजली पैदा करने के लिये हैं। यह अनुमान है कि तृतीय आयोजना की अवधि में उत्तर प्रदेश की कुल अधिष्ठापित क्षमता में ७५३ मेगावाट की वृद्धि हो जायेगी।

रिहन्द परियोजना लगभग पूरी हो चुकी है और उससे इलाहाबाद, वाराणसी, मुगलसराय, मिर्जापुर तथा राबर्ट्सगंज को बिजली मिलने लगी है। रिहन्द प्रणाली पूर्वी उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत मऊ तथा गोरखपुर के, तथा पश्चिम में इलाहाबाद तथा कानपुर के, थर्मल स्टेशनों से अब परस्पर सम्बद्ध की जा रही है। यह भी विचार है कि कानपुर को हरदुआगंज के साथ परस्पर सम्बद्ध कर दिया जाय। हरदुआगंज को बाद में यमुना योजनाओं से सम्बद्ध कर दिया जायगा। इस प्रकार परस्पर सम्बद्ध करने के प्रयोजन के लिये सीधे देहरादून जिले से, जिसमें यमुना की योजनाएं स्थित होंगी, मिर्जापुर जिले में पिपरी और ओबरा तक एक मेन २२० किलोवाट ट्रंक ग्रिड की व्यवस्था की जायगी।

१९६१-६२ में मेरी सरकार की मद्य-निषेध नीति का और अधिक क्षेत्र में विस्तार नहीं हुआ है। १९५८ में श्री रामस्वरूप यादव की अध्यक्षता में, बनायी गयी राज्य मद्य-निषेध जांच समिति (State Prohibition Enquiry Committee) का प्रतिवेदन अभी मेरी सरकार के विचाराधीन है। परन्तु इस बात के लिये प्रयत्न किये गये हैं कि आबकारी के राजस्व में होने वाली हानि को रोका जाय जिससे कि राज्य के साधनों में वृद्धि हो और विकास आयोजनाओं सम्बन्धी उन व्ययों को पूरा किया जा सके, जिनका सरकार पर उत्तरदायित्व है।

शक्कर के कारखानों तथा आसवनशालाओं (डिस्टिलरियों) पर और भी अधिक तथा कड़ा नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिये, तथा औद्योगिक प्रयोजनों तथा पेट्रोल के साथ मिश्रण के लिये मद्यसार (अल्कोहल) का उत्पादन करने के निमित्त शीरे का अधिकतम उपयोग किये जाने की दृष्टि से मेरी सरकार प्रशासकीय कदम उठाने के अतिरिक्त यू० पी० मोलेसेज़ कंट्रोल ऐक्ट, १९४७ में संशोधन करने का भी विचार कर रही है और अन्तिम रूप से तैयार हो जाने पर वह आपके समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। जो कदम उठाये गये हैं वे निर्विघ्न रूप से शीरे की सप्लाई और चालक मद्यसार (पावर अल्कोहल) का अधिक उत्पादन सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक हैं, जिससे कि बरेली की सिन्थेटिक रबर फैक्टरी को, जो शीघ्र ही स्थापित की जाने वाली है, होने वाली सप्लाई में कमी न आने पाये।

मेरी सरकार की श्रम-नीति के दो उद्देश्य हैं—औद्योगिक शान्ति कायम रखना, जिसके बिना औद्योगिक विकास असम्भव है, तथा कल्याण की अधिकाधिक सुविधाओं की व्यवस्था करना। यह बड़ी उत्साहवर्द्धक बात है कि इस नीति के परिणाम-स्वरूप वर्ष में कोई बड़ी हड़तालें नहीं हुईं।

शक्कर उद्योग के केन्द्रीय मजदूरी बोर्ड (सेंट्रल वेज बोर्ड) की सिफारिश पर राज्य में इस उद्योग के लिये १ नवम्बर, १९६० से ७६ रुपये प्रतिमास की न्यूनतम मजदूरी निश्चित की गयी। उपदान (gratuity), प्रतिधारण भत्ता (retaining allowance) के भुगतान और लिपिकों आदि के वेतन-क्रमों के संबंध में बोर्ड की दूसरी सिफारिशें भी लागू की गयी हैं और राज्य सरकार द्वारा बोर्ड की सिफारिशें लागू करने के फलस्वरूप पैदा होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिये एक समिति नियुक्त कर दी गयी है।

श्रम कल्याण के क्षेत्र में भी मेरी सरकार ने प्रचलित योजनाओं को चालू रखने के साथ-साथ कुछ नयी योजनायें प्रारम्भ की हैं, जैसे मजदूरों को उपयोगी कलाओं तथा दस्तकारियों में प्रशिक्षण देने के लिये पांच अभिरुचि केन्द्र (हाबी सेंटर) तथा मजदूरों के परिवारों को कुछ दस्तकारियों का प्रशिक्षण देने के लिये दो चल प्रशिक्षण केन्द्र (पेरिपैटेटिक ट्रेनिंग सेंटर) खोले गये हैं और मजदूर बस्तियों में कल्याणकारी कार्य करने के लिये श्रम-कल्याण-विस्तार-

सेवा (लेबर वेलफेयर एक्सटेंशन सर्विस) तथा स्वस्थ मनोरंजन की व्यवस्था करने के लिये श्रम कल्याण-केन्द्रों में एक युवा कल्याण-योजना चालू की गयी है। औद्योगिक संबंधों पर प्रभाव डालने वाले कर्मचारियों के संबंधों का अध्ययन करने और कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने के लिये मालिक तथा मजदूर दोनों को समुचित दृष्टिकोण प्रदान करने के उद्देश्य से एक कर्मचारी-परामर्शदात्री सेवा चालू की गयी है। औद्योगिक झगड़ों के संबंध में मजदूरों तथा उनकी यूनियनों को मुफ्त कानूनी परामर्श देने के लिये विधि परामर्शदात्री सेवा चालू करने का भी प्रबन्ध किया गया है।

इस राज्य में उद्योगों का तेजी से विकास होने के कारण पैदा होने वाली भिन्न-भिन्न समस्याओं का समाधान या श्रम-नीति की अपेक्षाओं की पूर्ति का कार्य १९४७ ई० के संयुक्त प्रांतीय औद्योगिक झगड़ों के ऐक्ट द्वारा नहीं हो सकता है। इसलिये इन समस्याओं का समाधान करने तथा औद्योगिक संबंधों को और अच्छा बनाने के उद्देश्य से मेरी सरकार यह आवश्यक समझती है कि उक्त ऐक्ट के स्थान पर एक व्यापक विधेयक तैयार किया जाये। वह विधेयक आप के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किये जाने की संभावना है।

एक और विधेयक, अर्थात् उत्तर प्रदेश दूकान और वाणिज्य अधिष्ठान विधेयक, आपके समक्ष लाये जाने का भी विचार है। इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि वर्तमान ऐक्ट को कार्यान्वित करने में जो कठिनाइयां सामने आई हैं उन्हें दूर किया जाये और दूकानों तथा वाणिज्य-अधिष्ठानों के कर्मचारियों को कुछ और आवश्यक सुविधाएं दी जायं।

राज्य के सर्वतोमुखी विकास में परिवहन के साधनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिये इस क्षेत्र में मेरी सरकार की नीति यह है कि बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिये सड़कों द्वारा आने-जाने के सस्ते तथा दक्षता से कार्य करने वाले साधनों की व्यवस्था की जाये। सार्वजनिक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकारी रोडवेज का प्रसार, समुचित रूप से कई अवस्थाओं में बांटे गये एक कार्यक्रम के अनुसार किया जा रहा है और निजी क्षेत्र में माल ढोने वाली गाड़ियों को सड़क के परमिट देने में उदार नीति बरती जा रही है। इस संबंध में सिद्धांत को शिथिल कर के मौजूदा गाड़ियों को और भी स्वतंत्रतापूर्वक चलने दिया जा रहा है तथा यात्री ले जाने वाली गाड़ियां चलाने के लिये भी सार्वजनिक आवश्यकता के अनुसार परमिट दिये जा रहे हैं। इससे जनता की आवश्यकता पूरी करने के लिये पर्याप्त संख्या में मोटर-गाड़ियां जुटाने में राज्य को सहायता मिली है। इसके अतिरिक्त मेरी सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ पारस्परिक समझौते करके अन्तर्राज्य मोटर परिवहन सेवाएं विकसित करने की भी कोशिश की है। मुझे आपको यह सूचित करते हुये प्रसन्नता होती है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, बिहार, पश्चिमीबंगाल और महाराष्ट्र के राज्यों तथा दिल्ली प्रशासन के साथ ऐसे समझौते किये जा चुके हैं।

हमारे समाज के समन्वय में शिक्षा का कितना महत्वपूर्ण योगदान है इसे हम अच्छी तरह समझते हैं। तदनुसार मेरी सरकार इस राज्य में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के अभिनवीकरण (re-orientation) के प्रश्न पर विचार कर रही है जिससे कि वह वांछित समन्वय कर सकने में प्रभावपूर्ण योगदान दे सके।

यू० पी० इंटरमीडिएट एजूकेशन ऐक्ट, १९२१ को कार्यान्वित करने में जिन कतिपय कठिनाइयों का अनुभव हुआ है उन्हें दूर करने के उद्देश्य से उक्त ऐक्ट को संशोधित करने के लिये एक विधेयक आपके समक्ष प्रस्तुत करने का भी विचार है।

राज्य की तृतीय पंचवर्षीय आयोजना में डिगरी तथा इससे ऊपर के स्तर की प्राविधिक (टेक्निकल) शिक्षा के लिये २·०२ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। इसका उपयोग रुड़की विश्वविद्यालय तथा दयालबाग के इंजीनियरिंग कालेज के विस्तार के लिये करने का विचार है। इसके अतिरिक्त इलाहाबाद तथा गोरखपुर में दो नये इन्जीनियरिंग कालेज स्थापित किये जा रहे हैं। इलाहाबाद का कालेज, क्षेत्रीय (रीजनल) इंजीनियरिंग कालेज होगा और वह

उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब तथा काश्मीर की जरूरतों को पूरा करेगा। इस कालेज में पढ़ाई शुरू हो गयी है, किन्तु इसका पूरा विकास तृतीय आयोजना की अवधि में होगा। इस वर्ष अगस्त में गोरखपुर में भी इंजीनियरिंग कालेज खोलने का विचार है।

इस राज्य में प्राविधिक शिक्षा परिषद् (बोर्ड आफ टेक्निकल एजूकेशन) पहले से ही काम कर रही है, किन्तु यह किसी विशिष्ट कानून के अधीन स्थापित नहीं है। इसलिये इसे कानूनी स्थिति देने के उद्देश्य से मेरी सरकार का विचार उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा विधेयक प्रस्तुत करने का है।

समाज-कल्याण तथा हरिजन सहायक निदेशालयों के एकीकरण से जिला स्तर पर जिला हरिजन तथा समाज-कल्याण अधिकारियों का एक संयुक्त संवर्ग (cadre) बन गया है और इससे समाज-कल्याण कार्यक्रमों का प्रसार राज्य के ५१ जिलों में हो गया है। इसके फलस्वरूप कार्यों के अधिक समन्वयपूर्ण हो जाने के साथ-साथ खर्चे की बचत भी हुई है। यू० पी० फर्स्ट आफेंडर्स प्रोबेशन ऐक्ट को छः और जिलों में लागू कर दिया गया है और इस प्रकार ऐसे जिलों की कुल संख्या २८ हो गयी है। इलाहाबाद में वृद्धि तथा अशक्त व्यक्तियों के लिये एक गृह स्थापित किया गया है। सामाजिक कार्य में लगी हुई स्वैच्छिक संस्थाओं को भी, उदारतापूर्वक सहायक अनुदान देकर, प्रोत्साहित किया जा रहा है।

आगामी वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश बालक अधिनियम के उपबन्धों को तीन नये जिलों में तथा यू० पी० फर्स्ट आफेंडर्स प्रोबेशन ऐक्ट के उपबन्धों को चार नये जिलों में लागू करने का विचार है। मानसिक विकार तथा क्षीण बुद्धि वाले लोगों के लिये एक नया गृह तथा भिखारियों के लिये एक और कार्यशाला खोलकर संस्थात्मक सेवाओं की व्यवस्था की जायेगी।

इस वर्ष हरिजनों तथा अन्य पिछड़े हुए वर्गों के कल्याण के कार्यों की ओर अधिक ध्यान दिया गया है। उन्हें दी गयी शिक्षा की सुविधाओं में वृद्धि करने के अतिरिक्त उन्हें प्राविधिक शिक्षा देने तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों में लेने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। हरिजनों के लिये विविध प्रकार की प्राविधिक शिक्षा देने वाले तीन विद्यालय (पोलीटेक्निक) खोले जाने वाले हैं और उन १० औद्योगिक आस्थानों के अतिरिक्त, जो द्वितीय आयोजना में स्वीकृत हो चुके हैं, पांच और आस्थान स्थापित किये जायेंगे। हरिजन तथा पिछड़े वर्गों को विभिन्न सुविधाएं देने के लिये नयी आर्थिक कसौटियां निर्धारित की गयी हैं।

स्वस्थ शरीर शीघ्र विकासोन्मुख व्यक्तियों की प्रथम आवश्यकता है। अतः मेरी सरकार ने स्वभावतः इस राज्य के लोगों के स्वास्थ्य को यथोचित प्राथमिकता दी है। संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिये किये गये विभिन्न प्रयासों और विभिन्न औषधालयों, अस्पतालों तथा मेडिकल कालेजों द्वारा दी गयी चिकित्सा-संबंधी सुविधाओं से हमारे लोगों के स्वास्थ्य में उन्नति हुई है, यद्यपि इस दिशा में अभी बहुत कुछ करना शेष है। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (National Malaria Eradication Programme) द्वारा मलेरिया की वृद्धि को सफलतापूर्वक रोका गया है और यह आशा है कि देखभाल एवं रोकथाम के वर्तमान कार्यक्रम के समाप्त होने पर इस रोग का पूर्ण रूप से उन्मूलन हो जायेगा। सुलतानपुर में आरम्भ की गयी अग्रगामी परियोजना से प्राप्त अनुभव और परिणामों को पथ-प्रदर्शक मानकर आगामी वर्ष में राष्ट्रीय कार्यक्रम के भाग के रूप में चेचक उन्मूलन योजना को भी चालू करने का विचार है।

इस क्षेत्र में मेरी सरकार के अभीष्ट उद्देश्य की पूर्ति में एक बाधा है डाक्टरों की कमी। इस स्थिति में सुधार करने के लिये मेरी सरकार राज्य में मेडिकल कालेजों की संख्या बढ़ाने का प्रयास करती रही है। पचास छात्रों को भरती करके इलाहाबाद में एक नया मेडिकल कालेज खोल ही दिया गया है। वाराणसी विश्वविद्यालय ने भी एक मेडिकल कालेज खोल दिया है और आगामी वर्ष में अलीगढ़ विश्वविद्यालय द्वारा भी एक मेडिकल कालेज खोले जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त कानपुर के गणेशशंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज में कैन्सर के रोगियों के उपचार

के लिये बहुत जल्द एक रेडियम इंस्टीट्यूट खोला जाने वाला है और कनाडा की सरकार से भेंट स्वरूप मिला हुआ एक कोबाल्ट ६० प्लान्ट वहां लगा दिया गया है ।

राज्य के १६७ नागर क्षेत्रों में १ जुलाई, १९६१ को जमींदारी समाप्त कर दी गयी थी। फलतः यह आवश्यक हो गया है कि जमींदारों को दिये गये प्रतिकर को दृष्टि में रखकर उनके ऋणों के उन्मोचन के लिये उपयुक्त विधायन किया जाये । अतः उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का अधिनियम, १९५२ तथा यू० पी० इनकम्बर्ड स्टेट्स ऐक्ट, १९३४ में उपयुक्त संशोधन करने के लिये एक विधेयक आपके विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा ।

इस राज्य में चकबन्दी पर होने वाला कुल व्यय कुछ अन्य राज्यों के ऐसे व्यय की तुलना में अधिक प्रतीत होता है । इस व्यय को कम करने की दृष्टि से चकबन्दी प्रक्रिया के सुधारार्थ उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ को संशोधित करने के लिये भी एक विधेयक प्रस्तुत करने का विचार है ।

१९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ तथा यू० पी० लेन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ की कुछ धाराओं के कार्यान्वय में भी कुछ कठिनाइयां अनुभव हुई हैं । इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये उक्त अधिनियमों में आवश्यक संशोधन करने के निमित्त आपके समक्ष एक छोटा-सा विधेयक प्रस्तुत करने का भी विचार है ।

गत वर्ष दिसम्बर में उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ के लागू होने से राज्य में लोकतंत्रात्मक विकेन्द्रीकरण का एक नया युग आरम्भ हुआ है। राज्य सरकार के जिला स्तर के और उससे नीचे के अनेक महत्वपूर्ण अधिकार और कृत्य तीन स्तरीय लोकतंत्रात्मक संस्थाओं को, अर्थात् गांव सभाओं, क्षेत्र समितियों तथा जिला परिषदों को, सौंप दिये जायेंगे । गांव सभाएं ग्राम-स्तर पर कार्य कर रही हैं। क्षेत्र समितियों के भी खंड-स्तर पर शीघ्र कार्य करने लगने की आशा है । मेरी सरकार शीघ्र ही वर्तमान अन्तरिम जिला परिषदों के स्थान पर जिला परिषदों के संघटनार्थ नये निर्वाचन कराने की कार्यवाही करने का विचार कर रही है । स्थानीय शासकीय कृत्यों का निर्वहन करने के अतिरिक्त इन संस्थाओं की यह भी जिम्मेदारी होगी कि वे विकास की योजनाएं तैयार करके उन्हें अपने-अपने क्षेत्रों में कार्यान्वित करें । मुझे विश्वास है कि इन संस्थाओं का विकास होने से ग्रामीण क्षेत्रों में लोग निर्दिष्ट सीमा तक अपने मामलों को बिना दूसरों के हस्तक्षेप के निबटाने में समर्थ होंगे और सोचने, योजना बनाने तथा कार्य करने की इस स्वतंत्रता से प्रत्येक व्यक्ति में पहल करने की छिपी हुई शक्ति तथा योग्यता जागृत होगी । इससे उसमें परिवार तथा समाज के सम्यक विकास और कल्याण के लिये अपनी पूरी क्षमता से कार्य करने का उत्साह भी पैदा होगा ।

कुछ कार्यक्रमों का कार्यान्वय गांव पंचायतों के सुपुर्द करके इस लोकतंत्रात्मक विकेंद्रीकरण की शुरुआत की जा चुकी है । पंचायतों की प्राइमरी स्कूल प्रबन्ध–समितियां बना दी गई हैं, जो प्राइमरी स्कूलों के निर्माण और उन्हें चलाने का काम देखेंगी । तृतीय आयोजना में स्वीकृत किये गये स्कूलों की इमारतों के निर्माण के लिये उन्हें मैदानी क्षेत्रों में २,५०० रुपये के और पहाड़ी क्षेत्रों में ३,५०० रुपये के अनुदान दे दिये गये हैं । पीने के पानी की समस्या, विशेषकर पर्वतीय जिलों और राज्य के अन्य अविकसित जिलों में, बड़ी कठिन है । इसे सरकार की ओर से उदारतापूर्वक अनुदान देकर हल किया जा रहा है । पर्वतीय जिलों में १०,००० रुपये तक की लागत की योजनाएं गांव पंचायतों द्वारा स्वयं कार्यान्वित की जा रही हैं । इसी प्रकार हरिजन-कल्याण कार्यक्रम का पर्याप्त भाग क्षेत्र समितियों और गांव पंचायतों द्वारा पूरा किया जा रहा है । यह आशा है कि इनके तथा अन्य कार्यक्रमों के सफलतापूर्वक कार्यान्वित किये जाने से हमारी गांव पंचायतों की शक्ति काफी बढ़ जायेगी ।

स्थानीय स्वायत्त शासन की अन्य संस्थाओं, जैसे टाउन एरिया कमेटियों, नोटीफाइड एरिया कमेटियों, नगरपालिकाओं और नगर महापालिकाओं, के कार्य में संतोषजनक प्रगति हो रही है और वे अपने-अपने क्षेत्र में समाज के कल्याण के लिये अपना योगदान देती रही हैं ।

परन्तु टाउन एरिया कमेटियों के कार्य-संचालन से यह प्रकट हुआ है कि यू० पी० टाउन एरिया ऐक्ट ,१९१४ में कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है । तदनुसार मेरी सरकार का विचार एक विधेयक प्रस्तुत करने का है जिसमें किसी टाउन एरिया कमेटी के सदस्य या चेयरमैन निर्वाचित होने के लिये कतिपय अनर्हताओं की व्यवस्था की जायेगी और टाउन एरिया कमेटियों को यह अधिकार भी दिया जायेगा कि वे बाकीदारों द्वारा देय धनराशियों की वसूली उनकी किसी भी सम्पत्ति को कुर्क करके और उसे बेचकर कर लें ।

पिछले अगस्त में हुए नगर प्रमुखों और उपनगर प्रमुखों के एक सम्मेलन में महापालिकाओं के कार्य-संचालन में सुधार करने के लिये अनेक सुझाव दिये गये थे । मेरी सरकार उन सुझावों पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है और उसका विचार है कि उपयोगी सुझावों को प्रभावी बनाने के लिये निकट भविष्य में आपके समक्ष एक व्यापक संशोधन विधेयक लाया जाये ।

नगर प्रशासन में सुधार करने और उपयुक्त समय पर कुछ म्युनिसिपल सेवाओं के प्रान्तीयकरण के लिये कार्यवाही का अधिकार प्राप्त करने के लिये मेरी सरकार यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट में संशोधन करने के कुछ प्रस्तावों पर विचार कर रही है । तदनुसार निकट भविष्य में एक विधेयक आपके समक्ष लाया जायेगा ।

मेरी सरकार तथा भारत सरकार द्वारा प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय आयोजनाओं की अवधियों में मकानों की समस्या को हल करने के लिये किये गये सभी प्रयत्नों के बावजूद यह समस्या बड़ी कठिन बनी हुई है । अतएव मेरी सरकार ने राज-सहायता-प्राप्त औद्योगिक गृह-निर्माण योजना (Subsidized Industrial Housing Scheme), मलिन बस्तियों के निपातन की योजना (Slum Clearance Scheme), कम आय वाले लोगों की गृह-निर्माण योजना (Low Income Group Housing Scheme),गांवों में गृह निर्माण की परियोजना संबंधी योजना (Village Housing Projects Scheme), मध्यम आय वाले लोगों की गृह-निर्माण योजना (Middle Income Group Housing Scheme) और भूमि अर्जन तथा विकास योजना का कार्यान्वय जारी रखने के अलावा तृतीय पंचवर्षीय आयोजना के अन्तर्गत राज्य के सम्भाव्य औद्योगिक क्षेत्रों के योजनाबद्ध विकास के लिये क्षेत्रीय आयोजनागत योजना (Regional Planning Scheme) भी चालू कर दी है ।

पूर्वोक्त योजनाओं के सफल कार्यान्वय में सुविधा की दृष्टि से आपके समक्ष उत्तर प्रदेश टाउन इम्प्रूवमेन्ट (अवस्थानुकूल परिवर्तन) (संशोधन) विधेयक लाने का भी विचार है । इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र (सुधार तथा निपातन) विधेयक ,१९६० जिसमें कि संयुक्त प्रवर समिति ने कुछ परिवर्तनों के सुझाव दिये हैं, पहले ही से विधान-परिषद् के विचाराधीन है ।

आपको विदित है कि मेरी सरकार ने पुलिस दल और उसके प्रशासन के विभिन्न पहलुओं की जांच के निमित्त और उसमें सुधार के लिये सिफारिशें करने के लिये जनवरी, १९६० में उत्तर प्रदेश पुलिस आयोग नियुक्त किया था । उस आयोग में अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है सरकार ने उस पर विचार करने के उपरान्त कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और अन्य सिफारिशों पर वह सक्रिय रूप से विचार कर रही है । आशा है कि वेतन-क्रमों का पुनरीक्षण किये जाने ,कैडेटों को वृत्ति दिये जाने तथा सिपाहियों की भरती के लिये शिक्षा-संबंधी योग्यताओं में परिवर्तन किये जाने पर यथोचित योग्यता वाले व्यक्ति पुलिस दल में भरती होने के लिये आकृष्ट होंगे । इसके अतिरिक्त गजटित अधिकारियों द्वारा अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों का पर्यवेक्षण किये जाने के संबंध में जो परिवर्तन हुआ है उससे तथा उड़न दस्तों की नियमित अधार पर स्थापना, नये थानों के खोले जाने और कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने से भी राज्य के पुलिस-प्रशासन और साथ ही शान्ति तथा व्यवस्था की स्थिति में बहुत कुछ सुधार होगा ।

मैजिस्ट्रेट के पद के प्रशासन-संबंधी तथा न्याय-संबंधी कृत्यों को धीरे-धीरे अलग करने की योजना, जो १९४९ में प्रारम्भ की गयी थी, १९६१ में १३ और जिलों में लागू की गयी है। इसके परिणाम स्वरूप यह योजना अब उत्तराखंड तथा कुमायूं डिवीजनों के जिलों को छोड़कर राज्य के शेष सभी जिलों में लागू हो गयी है ।

उत्तराखंड डिवीजन इस उद्देश्य से बनाया गया था कि इस क्षेत्र का तेजी के साथ विकास किया जाये। २३ फरवरी ,१९६२ को उसका दूसरा साल पूरा हो गया। इस डिवीजन में १९६०-६१ में विभिन्न विकास योजनाओं पर ११२.१२८ लाख रुपया व्यय किया गया और स्थानीय जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर डिवीजन के लिये जो तीसरी आयोजना तैयार की गयी है वह लगभग २८ करोड़ रुपयों की है। इसमें से ३ करोड़ से अधिक के चालू वित्तीय वर्ष में व्यय होने की सम्भावना है ।

राष्ट्रपति के अप्रैल ,१९६० के आदेश की घोषणा में यह निर्धारित कर दिया गया था कि संघ की मुख्य राजभाषा हिन्दी होगी और अंग्रेजी को एक सहायक या सहवर्ती भाषा की हैसियत से भारत सरकार के शासकीय कार्य में स्थान दिया जायेगा। इस घोषणा के होते ही मेरी सरकार ने जनवरी, १९६५ तक सभी काम हिन्दी में करने के लिये आवश्यक कदम उठाने के आदेश जारी कर दिये हैं ।

मेरी सरकार ने गत जून में आचार्य जे० बी० कृपालानी की अध्यक्षता में एक भाषा समिति इस बात पर विचार करने के लिये बनायी है कि सरकार ने राज्य में भाषायी अल्प संख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिये जो उपाय ठहराये हैं, उस पर किस सीमा तक कार्य हुआ है और इस संबंध में राज्य सरकार की नीति को पूर्णरूप से कार्यान्वित करने के लिये और कौन-कौन कार्यवाहियां आवश्यक हैं। समिति इस विषय पर अभी विचार-विमर्श कर रही है। आशा है कि मई, १९६२ के मध्य तक वह अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी।

मैं ऐसे कुछ विधेयकों का उल्लेख कर चुका हूं जो सम्भवतः इस सत्र में या इसके बाद के सत्रों में आपके समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे। इनके अतिरिक्त और भी विधेयक आपके समक्ष प्रस्तुत किये जाने की संभावना है, जिनमें से कुछ ये हैं--

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९६२, उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९६२, उत्तर प्रदेश कृषि-उत्पादन मंडी विधेयक, १९६२, उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६२, स्टैम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक तथा एपिडेमिक डिजीजेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६२ ।

मैंने जिन विधेयकों का उल्लेख किया है उनके अतिरिक्त आपको १९६२-६३ के बजट तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक पर भी विचार करना है। सामान्य निर्वाचनों के कारण उत्पन्न इस वर्ष की परिस्थितियों को देखते हुये मेरी सरकार को पिछली विधान-सभा से वित्तीय वर्ष १९६२-६३ के तीन महीनों के लिये लेखानुदान की स्वीकृति लेनी पड़ी ।

गत वर्ष इसी प्रकार के एक अवसर पर पिछले विधान-मण्डल के दोनों सदनों को संबोधित करते समय मैंने अपनी सरकार के निश्चय का उल्लेख किया था कि इस राज्य में एक स्थायी विधि आयोग स्थापित किया जायगा जिसका उद्देश्य विधि के विकास को दृष्टि में रखते हुए राज्य के अधिनियमों का समय-समय पर पुनरीक्षण करना और बदली हुई परिस्थितियों तथा विधि-संबंधी नवीनतम विचार धाराओं के संदर्भ में उन्हें समेकित तथा समन्वित करना और नया प प्रदान करना होगा। मुझे आपको यह सूचित करते हुए प्रसन्नता होती है कि राज्य विधि आयोग बन गया है और उसने १ फरवरी, १९६२ से कार्य करना आरम्भ कर दिया है। आशा है कि राज्य विधि आयोग की स्थापना से राज्य की विधि में वांछित सुधार होगा।

अपना अभिभाषण समाप्त करने के पूर्व मैं एक बार फिर इस राज्य को सम्पन्नता तथा समृद्धि के वांछित लक्ष्य की ओर ले जाने के महान कार्य के लिये आपको आमंत्रित करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपनी विमर्षकारी बुद्धि तथा प्रयत्नों के द्वारा इस राज्य की नौका को विघ्न-बाधाओं का सामना करते हुये गन्तव्य स्थान तक पहुंचायेंगे तथा स्वस्थ परम्पराएं स्थापित करके सुदृढ़ जनतांत्रिक आदर्शों के आधार पर जनतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण में भी सहायक होंगे।

मुझे विश्वास है कि अपने कृत्यों के संपादन में आप केवल निःस्वार्थ कर्त्तव्य-निष्ठा द्वारा ही प्रेरित होंगे। ईश्वर आपकी सहायता करे और आपको अविचल उत्साह के साथ कर्त्तव्यपालन की शक्ति प्रदान करे।

जय हिन्द।

नत्थी 'ख'

(देखिए पीछे पृष्ठ २७ पर)

उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और उप मंत्रियों (के वेतन तथा भत्तों) का (संशोधन) विधेयक, १९६२

"उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और उपमंत्रियों (के वेतन तथा भत्तों) का अधिनियम, १९५२ ई०" को संशोधित करने का

उ० प्र० अधिनियम संख्या १०, १९५२

विधेयक

कतिपय प्रयोजनों के लिये "उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और उप-मंत्रियों (के वेतन तथा भत्तों) का अधिनियम, १९५२ ई०" को संशोधित करना आवश्यक है,

उ० प्र० अधिनियम संख्या १०, १९५२

अतएव भारतीय गणतंत्र के तेरहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और उप-मंत्रियों (के वेतन तथा भत्तों) का (संशोधन) अधिनियम, १९६२ कहलायेगा ।

संक्षिप्त शीर्षनाम

२—"उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और उप-मंत्रियों (के वेतन तथा भत्तों) का अधिनियम, १९५२ ई०" की धारा ४ की उपधारा (२) के पश्चात् नई उपधारा (२—क) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय और सदैव से बढ़ाया गया समझा जाय :

उ० प्र० अधिनियम संख्या १०, १९५२ की धारा ४ का संशोधन

"(२—क) प्रत्येक उपमंत्री का कार क्रय करने के लिये प्रतिदेय ऋण के रूप में, उस सीमा तक और ऐसी शर्तें और प्रतिबन्धों पर लौटाया जाने वाला अग्रिम धन पाने का अधिकारी होगा, जो नियत किये जायं ।"

उद्देश्य और कारण

इस उद्देश्य से कि उप-मंत्री अपने पदों से संबंधित कर्त्तव्यों का सुविधाजनक रूप से और दक्षता पूर्वक पालन कर सकें, यह निश्चय किया गया था कि मोटरकार खरीदने के लिये उप-मंत्रियों को अग्रिम धन देने की व्यवस्था की जाय और इस प्रयोजन के लिये नियम बनाये जायं । किन्तु यह शंकायें व्यक्त की गयी हैं कि मंत्रियों के वेतन तथा भत्तों को शासित करने वाले अधिनियम में इस प्रयोजन के लिये निर्दिष्ट उपबन्ध न होने से ऐसा करना संभव नहीं है । इस प्रकार की सभी शंकाओं को दूर करने के लिये उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और उप-मंत्रियों (के वेतन तथा भत्तों) का (संशोधन) विधेयक, १९६२ पुरःस्थापित किया जाता है ।

चन्द्रभानु गुप्त,
मुख्य मंत्री ।

वित्तीय ज्ञाप

यदि उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और उप-मंत्रियों (के वेतन तथा भत्तों) (संशोधन) विधेयक, १९६२ विधि के रूप में पारित हो जाता है तो इसमें राज्य की संचित निधि से व्यय होगा। इसका कारण यह है कि प्रत्येक उप-मंत्री कार खरीदने के लिये, प्रतिदेय ऋण (refundable loan) के रूप में, उस सीमा तक अग्रिम धन पाने का अधिकारी होगा जो इस प्रयोजन के लिये बनाई गई नियमावली में नियत की जाय।

चन्द्रभानु गुप्त,
मुख्य मंत्री।

अविभाजित

ज्ञाप

जिसमें उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और उप-मंत्रियों (के वेतन तथा भत्तों) का (संशोधन) विधेयक, १९६२ में अन्तर्ग्रस्त विधायन अधिकार के प्रतिनिधान संबंधी प्रस्थापनाओं को स्पष्ट किया गया है

खंड २ के अधीन प्रस्तावित उप धारा (२-क) द्वारा राज्य सरकार को यह अधिकार देने का प्रस्ताव है कि वह उप मंत्रियों को कार खरीदने के लिये प्रतिदेय ऋण के रूप में अग्रिम धन देने के निमित्त नियमों में शर्तों और प्रतिबंधों को नियत करे ।

चन्द्रभानु गुप्त,
मुख्य मंत्री ।

सत्यमेव जयते

उस संबंधित धारा की सूची जिसको उत्तर प्रदेश के मंत्रियों तथा उप-मंत्रियों (के वेतन तथा भत्ता) का (संशोधन) विधेयक, १९६२ द्वारा संशोधित करने का प्रस्ताव है ।

उत्तर प्रदेश के मंत्रियों और उप-मंत्रियों (के वेतन तथा भत्तों) अधिनियम, १९५२

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १०, १९५२

मंत्रियों के लिए सरकारी परिवहन तथा यात्रिक भत्ता

४ (१) इसके अतिरिक्त प्रत्येक मंत्री तथा राज्य मंत्री के उपयोग के लिये उपयुक्त परिवहन की व्यवस्था की जायेगी जिसका क्रय तथा रख-रखाव राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाये जाने वाले नियमों के अनुसार सार्वजनिक व्यय से किया जायेगा ।

(२) प्रत्येक उप मंत्री को एक सौ पचास रुपया प्रतिमास परिवहन भत्ता (conveyance allowance) दिया जायगा ।

(३) प्रत्येक मंत्री, राज्य मंत्री तथा उपमंत्री को सार्वजनिक कार्य के लिये की गई यात्राओं के निमित्त ऐसी दरों पर और ऐसे प्रतिबंधों के अधीन, जो राज्य सरकार द्वारा इस विषय में बनाये जाने वाले नियमों द्वारा नियत किये जायं, यात्रिक तथा दैनिक भत्ता पाने का अधिकारी होगा ।

नत्थी 'ग'

(देखिये पीछे पृष्ठ २७ पर)

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९६२

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २४, १९५३ ई०

कतिपय प्रयोजनों के लिये उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ को संशोधित करने का

विधेयक

एतद्द्वारा भारतीय गणतंत्र के तेरहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्ष नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, १९६२ कहलायेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २४, १९५३ ई० की धारा ३ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ (जिसे एतद्पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ३ की उपधारा (२) के खंड (ख) में अंक तथा शब्द "२० सदस्य" के स्थान पर शब्द "इक्कीस सदस्य" रख दिये जायं ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २४, १९५३ ई० की धारा ५ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (३) के खंड (ख) के उपखंड (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(२) जिला नियोजन अधिकारी (District Planning Officer) या जिले में नियोजन विभाग का कोई अन्य अधिकारी, जिसे जिला मैजिस्ट्रेट नामांकित करे"

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ में उत्तर प्रदेश गन्ना परिषद् (Board) स्थापित करने की व्यवस्था की गई है जो उत्तर प्रदेश तथा बिहार के लिये उनकी पारस्परिक सहमति से बनाया गया एक संयुक्त गन्ना परिषद् है । उक्त बोर्ड में खांडसारी इकाइयों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करने के उद्देश्य से १९६० में मूल अधिनियम में संशोधन किया गया था और बोर्ड के कुल सदस्यों की संख्या १९ से बढ़ा कर २४ कर दी गई थी । दोनों सरकारों की पारस्परिक सहमति से इस बोर्ड में उत्तर प्रदेश के १४ सदस्य तथा बिहार के १० सदस्य हैं । अब यह प्रस्ताव है कि बोर्ड की वर्तमान सदस्य संख्या २४ से बढ़ाकर २५ कर दी जाय ताकि बिहार शुगर कंट्रोल बोर्ड में की गई वृद्धि को प्रतिसंतुलित करने के उद्देश्य से एक और सदस्य उस श्रेणी के व्यक्तियों में से सम्मिलित किया जा सके जिन्हें गन्ने के विषय में प्राविधिक ज्ञान (Technical Knowledge) हो अथवा जो गन्ने और उससे निर्मित वस्तुओं के विकास में अभिरुचि रखते हों। उत्तर प्रदेश गन्ना परिषद् एक परिनियत संस्था है, अतएव अधिनियम की धारा ३ की उपधारा (२) की खंड (ख) को संशोधित करना आवश्यक है जिससे कि उक्त श्रेणी के एक और व्यक्ति को बोर्ड में नामांकित किया जा सके ।

२—उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ में फैक्ट्री के सुरक्षित क्षेत्र में विकास परिषदों को स्थापित करने की भी व्यवस्था है । अन्य व्यक्तियों के साथ-साथ, जिला नियोजन अधिकारी (District Planning Officer) को विकास परिषद् में पदेन सदस्य के रूप में काम करने के लिये नियुक्त किया जाता है । अनुभव से यह पता चला है कि अनेक जिलों में जिला नियोजन अधिकारी को ऐसी कई परिषदों की देखभाल करनी होती है और इससे अनेक कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं । अतएव यह प्रस्ताव किया जाता है कि जिला मैजिस्ट्रेट को यह प्राधिकार दिया जाय कि वह अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाली किसी परिषद् में सदस्य के रूप में काम करने के लिये किसी अधिकारी को नामांकित करे । उपर्युक्त अधिनियम के अधीन वैधिक अनुमति न होने से, मूल अधिनियम की धारा ४ की उपधारा (३) के खंड (ख) के उपखंड (२) का संशोधन करना आवश्यक है, जिससे कि जिला मैजिस्ट्रेट, ऐसी परिषद् में जिला नियोजन अधिकारी या जिले में नियोजन विभाग के किसी अन्य अधिकारी को नामांकित कर सके ।

चन्द्रभानु गुप्त,
मुख्य मंत्री ।

मूल अधिनियम की उन विभिन्न धाराओं का विवरण, जिनमें संशोधन करने का प्रस्ताव है।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ (उत्तर प्रदेश गन्ना अधिनियम संख्या २४, १९५३ ई०)

गन्ना बोर्ड ।

३—(१) राज्य सरकार उत्तर प्रदेश के लिये एक गन्ना बोर्ड की स्थापना करेगी ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३, १९६० द्वारा यथा संशोधित

(२) बोर्ड में निम्नलिखित होंगे :

(क) उद्योग, कृषि तथा सहकारिता के प्रभारी मंत्री;

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३, १९६० द्वारा यथा संशोधित

(ख) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त २० सदस्य, जिनमें से ५ चीनी फैक्टरियों के प्रतिनिधि होंगे, ५ गुड़, राब या खांडसारी शक्कर बनाने वाली इकाइयों के प्रतिनिधि होंगे तथा ५ गन्ना उत्पादकों तथा गन्ना उत्पादकों की सहकारी समितियों के प्रतिनिधि होंगे और बाकी ऐसे व्यक्ति होंगे जो गन्ना के विषय में विशेषज्ञ (technical knowledge) हों अथवा गन्ना या उससे निर्मित वस्तुओं में रुचि रखते हों;

(ग) गन्ना कमिश्नर या उनका प्रतिनिधि जो पदेन सदस्य होगा, और

(घ) उद्योग विभाग में राज्य सरकार का सचिव अथवा अन्य ऐसा अधिकारी, जिसे राज्य सरकार नामांकित करे, या बोर्ड का पदेन सचिव भी होगा।

गन्ना विकास परिषद्

५—(१) फैक्टरी के सुरक्षित क्षेत्र के लिये एक गन्ना विकास परिषद् (जिसे यहां पर आगे चल कर परिषद् कहा गया है) स्थापित की जायगी, जो उस क्षेत्र के नाम से अथवा उस नाम से जो नियत किया जाय एक सततानुक्रम वाली (having perpetual succession) निगमित संस्था (body corporate) होगी और वह किसी ऐसे निरोध या विशेषताओं के अधीन (subject to such restrictions or qualifications) जो इस अधिनियम या किसी दूसरे विधायन के अधीन लगायी जायं, निगमित नाम से वाद प्रस्तुत करने या उस पर वाद प्रस्तुत किये जाने, चल तथा अचल सम्पत्ति उपार्जित करने, रखने, प्रशासित तथा हस्तांतरित करने तथा संविदा भी करने की क्षमता रखेगी :

किन्तु प्रतिबंध यह है कि जब गन्ना कमिश्नर आदेश दें तो फैक्टरी के लिये सुरक्षित क्षेत्र से बड़े अथवा छोटे क्षेत्र के लिये भी परिषद् की स्थापना की जा सकती है ।

(२) वह क्षेत्र जिसके लिये परिषद् की स्थापना की जाय, प्रभाग (zone) कहलायेगा ।

(३) परिषद् में निम्नलिखित होंगे :

(क) राज्य सरकार के अनुमोदन से गन्ना कमिश्नर द्वारा नामांकित सभापति,

(ख) आठ सदस्य जिनमें से :

(१) चीनी की फैक्टरियों, गुड़, राब या खांडसारी शक्कर बनाने वाली इकाइयों तथा गन्ना उत्पादकों की सहकारी समितियों, के प्रतिनिधि के रूप में दो-दो सदस्य गन्ना कमिश्नर द्वारा नामांकित किये जायेंगे, उत्तर प्रदेश अधि-नियम संख्या ३, १९६० ई० द्वारा यथा संशोधित

(२) जिला नियोजन अधिकारी (District Planning Officer) जो पदेन सदस्य होगा,

(३) एक अन्य कोई अधिकारी जिसे गन्ना कमिश्नर नामांकित करे ।

सत्यमेव जयते

नत्थी 'घ'

(देखिये पृष्ठ २७ पर)

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रयकर) (संशोधन) विधेयक, १९६२

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ९, १९६१ को संशोधित करने का

कतिपय प्रयोजनों के लिये उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, १९६१

विधेयक

एतद्द्वारा भारतीय गणतंत्र के तेरहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) अधिनियम, १९६२ कहलायेगा ।

(२) यह १ अक्टूबर, १९६१ से प्रचलित होगा और प्रचलित हुआ समझा जायेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ९, १९६१ की धारा ५ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, १९६१ (जिसे एतद्पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ५ में शब्द "उक्त अवधि के व्यतीत होने के कम से कम तीस दिन पूर्व" के स्थान पर शब्द "उक्त अवधि के व्यतीत होने के पश्चात् अधिक से अधिक दो कलेन्डर महीनों के भीतर" रख दिये जायें ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ९, १९६१ में नई धारा १४—क का बढ़ाया जाना

३—मूल अधिनियम की धारा १४ के पश्चात् नई धारा १४-क के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय:—

राज्य सरकार का इकाइयों को छूट देने का अधिकार

"१४—क—राज्य सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना इस उद्देश्य से आवश्यक है कि इकाइयों को ऐसे गन्ने के सम्भरण, अथवा उनके द्वारा ऐसे गन्ने के क्रय, को प्रोत्साहित या विनियमित किया जाय, जो फैक्ट्रियों की आवश्यकताओं से अधिक है, गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके, प्रत्येक इकाई द्वारा, चाहे वह किसी फैक्टरी के भूगृहादि से दस मील के अर्द्ध-व्यास के भीतर या उससे अधिक दूरी पर स्थित हो, किसी कर निर्धारण वर्ष में, इस अधिनियम के अधीन देय कर में पूर्णतः या अंशतः छूट दे सकती है ।"

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, १९६१ में किसी गुड़, राब या खांडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई को, किसी कर-निर्धारण वर्ष के लिये जो किसी वर्ष के १ अक्टूबर से प्रारम्भ होकर अगले वर्ष के ३० सितम्बर को समाप्त होता है, दिये गये लाइसेंस के नवीकरण की अवधि बढ़ाने की व्यवस्था नहीं है । विधि के अधीन इस लाइसेंस का नवीकरण शक्कर आयुक्त द्वारा अनुवर्ती (subsequent) कर निर्धारण वर्ष के लिये किया जा सकता है, यदि उसके लिये इकाई का स्वामी उस अवधि के समाप्त होने से १ मास पूर्व प्रार्थना-पत्र दे, जिस (अवधि) के लिये लाइसेंस दिया गया हो । इकाइयां सामान्यतया अपना कार्य प्रतिवर्ष नवम्बर में आरम्भ करती हैं और इकाइयों के लिये नवम्बर से पहले लाइसेंस के नवीकरण के लिये प्रार्थना पत्र देना कठिन होता है । अतएव, लाइसेंस के नवीकरण की अवधि को नवम्बर तक बढ़ाने के लिये मूल अधिनियम की धारा ५ को संशोधित करना आवश्यक है ।

२—शक्कर फैक्टरियों द्वारा खरीदे गये गन्ने के कर में छूट देने का अधिकार उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, १९६१ के अधीन सरकार में निहित है । उक्त अधिनियम की धारा १४ की उपधारा (२) में प्रत्येक ऐसी इकाई द्वारा, जो किसी फैक्टरी के भूगृहादि से दस मील के अर्द्धव्यास के बाहर स्थित हो, किसी कर निर्धारण वर्ष में उक्त अधिनियम के अधीन देय कर में पूर्ण अथवा आंशिक छूट देने की व्यवस्था है । फैक्टरी की प्रसीमाओं (precincts) से दस मील के अर्द्धव्यास के बाहर स्थित इकाइयों को छूट (remission) देने का यह अभिप्राय है कि इकाइयों को फैक्टरियों के भूगृहादि से दस मील के अर्द्धव्यास के बाहर हट जाने के लिये प्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित किया जाय जिससे कि फैक्टरी को गन्ने का नियमित सम्भरण सुनिश्चित हो जाय । इस वर्ष स्थिति पूर्णतया बदल गयी है और रक्षित क्षेत्रों (reserved areas) में भी फैक्टरियों की आवश्यकता से कहीं अधिक (far above the needs) गन्ने का उत्पादन हुआ है । अतएव आवश्यकता से अधिक गन्ने के इकाइयों में उपयोग किया जाना आवश्यक है जिससे कि गन्ना नष्ट (waste) होने से बचाया जा सके । गन्ने का इस प्रकार उपयोग करने में सहायता देने के लिये यह आवश्यक है कि फैक्टरी से १० मील के अर्द्धव्यास के भीतर स्थित इकाइयों को भी सहायता देने की व्यवस्था की जाय । सरकार को ऐसी इकाइयों के संबंध में, जो किसी फैक्टरी की प्रसीमाओं से १० मील के अर्द्धव्यास के भीतर स्थित हों, वैसी ही छूट देने का कोई अधिकार नहीं है । किसी फैक्टरी से १० मील के अर्द्धव्यास के भीतर स्थित गन्ना पेरने वाली इकाइयों को भी छूट देने के लिये यह आवश्यक है कि १९६१ ई० के उ० प्र० अधिनियम संख्या ९ में एक नई धारा १४ क—जोड़ कर उस अधिनियम को संशोधित किया जाय ।

३—मूल अधिनियम की धारा ५ तथा १४ के प्रस्तावित संशोधनों को पूर्वगामी प्रभाव दिया जायगा और वे पहली अक्टूबर, १९६१ से प्रचालित समझे जायेंगे ।

चन्द्रभानु गुप्त,
मुख्य मंत्री ।

मूल अधिनियम की उन विभिन्न धाराओं का विवरण, जिनमें संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, १९६१ (उ० प्र० अधिनियम सं० ९, १९६१)

लाइसेंस का नवीकरण

५—धारा ४ की उपधारा (३) के अधीन दिया गया, या इस धारा के अधीन नवीकृत किया गया, लाइसेंस उस कर निर्धारण वर्ष के लिये वैध होगा, जिसके संबंध में वह दिया गया या नवीकृत किया गया हो किन्तु उक्त अवधि के व्यतीत होने के कम से कम तीस दिन पूर्व शक्कर आयुक्त को प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर और ऐसा शुल्क, जो नियत किया जाय, भुगतान करने पर उसके द्वारा समय-समय पर उसका नवीकरण, किया जा सकता है :

प्रतिबंध यह है कि शक्कर आयुक्त के समाधान के लिये पर्याप्त कारण दिखाये जाने पर उपर्युक्त अवधि के बाद भी प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर और ऐसे अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने पर, जो नियत किया जाय, लाइसेंस का नवीकरण किया जा सकता है ।

राज्य सरकार का छूट देने का अधिकार

१४—(१) राज्य सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना इस उद्देश्य से आवश्यक है, कि :

(क) फैक्टरियों को गन्ने के सम्भरण अथवा उनके द्वारा गन्ने के क्रय को प्रोत्साहित या विनियमित किया जाय, अथवा

(ख) नयी फैक्टरियों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाय; अथवा

(ग) १९५७-५८ की पेराई के मौसम के पश्चात् स्थापित ऐसी फैक्टरियों को, जो ऐसा गन्ना क्रय करती हों जिनमें शक्कर कम मात्रा में प्राप्त होती हो, सहायता दी जाय ;

गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके किसी कर निर्धारण वर्ष में इस अधिनियम के अधीन खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) के अन्तर्गत आने वाली प्रत्येक ऐसी फैक्टरी द्वारा देय कर में पूर्णतः या अंशतः छूट दे सकती है ।

(२) इसी प्रकार राज्य सरकार, किसी रक्षित क्षेत्र में फैक्टरियों को किये जाने वाले गन्ने के सम्भरण को विनियमित करने के उद्देश्य से, प्रत्येक ऐसी इकाई द्वारा, जो किसी फैक्टरी के भण्डगृहादि से दस मील की अर्द्धव्यासस्से अधिक दूरी पर स्थित हो, किसी कर निर्धारण वर्ष में इस अधिनियम के अधीन देय कर में पूर्णतः अथवा अंशतः छूट दे सकती है ।

नत्थी 'ङ'

(देखिये पीछे पृष्ठ २८ पर)

उत्तर प्रदेश टाउन इम्प्रूवमेन्ट (अवस्थानुकूल परिवर्तन) (संशोधन) विधेयक, १९६२

'सन् १९४८ ई० का यूनाइटेड प्रांविंसेज टाउन इम्प्रूवमेंट (अवस्थानुकूल परिवर्तन) ऐक्ट' को कुछ प्रयोजनों के लिये संशोधित करने का

संयुक्त प्रांतीय ऐक्ट संख्या ४७, सन् १९४८ ई०

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के तेरहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त शीर्षनाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश टाउन इम्प्रूवमेंट (अवस्थानुकूल परिवर्तन) (संशोधन) अधिनियम, १९६२ कहलायेगा ।

संयुक्त प्रांतीय ऐक्ट संख्या ४७ सन् १९४८ ई० के परिशिष्ट का संशोधन

२—'सन् १९४८ ई० का यूनाइटेड प्रांविंसेज टाउन इम्प्रूवमेंट (अवस्थानुकूल परिवर्तन) ऐक्ट' के परिशिष्ट के प्रथम स्तम्भ की उस प्रविष्टि के सामने, जो यू० पी० टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, १९१९ की धारा ६७ के संबंध में है, उक्त परिशिष्ट के द्वितीय स्तम्भ में दी हुई धारा ६७–एच की उपधारा (१) में, अंक तथा शब्द "1 percent" के स्थान पर अंक तथा शब्द "2 percent" रख दिये जायं ।

यू०पी० ऐक्ट संख्या ८, १९१९ ई०

उद्देश्य और कारण

स्थानीय वित्त जांच समिति (Local Finance Enquiry Committee) ने जो सन् १९४९ में स्थापित की गयी थी अन्य बातों के साथ साथ यह सिफारिश की थी कि स्थानीय निकायों की आय बढ़ाने और उन्हें अपना विकास कार्यक्रम सफलतापूर्वक चला सकने योग्य बनाने के लिये सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर कर, मनोरंजन कर, तथा बिक्री कर जैसे राजस्व के स्रोत उन्हें उपलब्ध कराये जायं । इस सिफारिश पर सरकार ने यथोचित रूप से विचार किया और यह अनुभव किया गया है कि संगत अधिनियमों में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये, जिससे कि एक लाख या उससे अधिक जन संख्या वाले स्थानीय निकाय अपनी-अपनी सीमाओं के भीतर स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तांतरण विलेख पर, हस्तांतरित सम्पत्तियों के मूल्य पर अथवा भोगबन्धकी की दशा में, सलेख (instrument) द्वारा प्रतिभूत (secured) धनराशि पर, २ प्रतिशत का अधिभार (surcharge) लगा सकें । यूनाइटेड प्रांविसेज टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, सन् १९१९ ई० के अधीन स्थापित इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों के संबंध में, एक लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों में स्थापित ट्रस्टों को भी ऐसा अधिभार (surcharge) लगाने की अनुज्ञा देने का विचार है क्योंकि इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों के पास साधारणतः आय के कोई स्थायी स्रोत नहीं होते, सिवाय उस थोड़ी-सी आय के जो भूमियों और भवनों के विक्रय से प्राप्त होती है, और उन्हें केवल तभी बनाया जाता है जब ऐसी विशेष परिस्थितियां विद्यमान होती हैं जिनसे विकास योजनाओं को चलाने के लिये पृथक निकाय की आवश्यकता होती है ।

२—१९४८ ई० का यूनाइटेड प्रांविसेज टाउन इम्प्रूवमेंट (अवस्थानुकूल परिवर्तन) ऐक्ट की धारा २ के साथ पठित यू० पी० टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, १९१९ की धारा ६७—एच (१) में इंडियन स्टैम्प ऐक्ट, १८८९ के अधीन लगाये गये शुल्क को किसी विलेख द्वारा हस्तांतरित सम्पत्ति के मूल्य पर १ प्रतिशत बढ़ाये जाने की व्यवस्था पहले से ही है । उत्तर प्रदेश टाउन इम्प्रूवमेंट (अवस्थानुकूल परिवर्तन) (संशोधन) विधेयक, १९६२ में, जो अब पुरः स्थापित किया जा रहा है, उक्त उपबंध को इस प्रकार संशोधित करने का प्रस्ताव है कि अधिभार की दर को १ प्रतिशत से बढ़ाकर २ प्रतिशत कर देने की व्यवस्था हो जाय ।

चतुर्भुज शर्मा,
स्वायत्त शासन मंत्री ।

Copy of the relevant section of the schedule to the U. P. Town Improvement Adaptation Act, 1948, sought to be amended by the U. P. Town Improvement (Adaptation) (Amendment) Bill, 1962.

The U. P. Town Improvement Adaptation Act, 1948

U.P. Ac
No XLV
of 1948

APPENDIX-B

67-H. (1) The duty imposed by the Indian Stamp Act, 1889, on any deed of transfer of immovable property shall, in the case of immovable property situated within an area to which this Act applies, be increased by 1 per cent on the value of the property transferred, or, in the case of a usufructuary mortgage on the amount secured by the instrument.

सत्यमेव जयते

नत्थी 'च'

(देखिए पीछे पृष्ठ २८ पर)

एपीडेमिक डिजीजेज (उ० प्र० संशोधन) विधेयक, १९६२

एपीडेमिक डिजीजेज ऐक्ट, १८९७ को संशोधित करने का

विधेयक

ऐक्ट संख्या ३, १८९७

कुछ प्रयोजनों के लिये एपीडेमिक डिजीजेज ऐक्ट, १८९७ को (उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में) संशोधित करना आवश्यक है :

अतएव भारतीय गणतन्त्र के तेरहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रसार

१—(१) यह अधिनियम एपीडेमिक डिजीजेज (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९६२ कहलायेगा ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

ऐक्ट संख्या ३, १८९७ की धारा ३ का संशोधन

२—एपीडेमिक डिजीजेज ऐक्ट, १८९७ की धारा ३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

Act No.XLV of 1960

"3—(1) Any person disobeying any regulation or order, made under this Act, shall be deemed to have committed an offence punishable under Section 188 of the Indian Penal Code, 1860.

(2) No Court shall take cognizance of any offence punishable by virtue of sub-section (1), except on a complaint in writing made by a Gazetted Officer authorized in that behalf by the State Government by notification in the Gazette, anything to the contrary contained in section 195 of the Code of Criminal Procedure, 1898 notwithstanding."

उद्देश्य और कारण

यदि कोई व्यक्ति एपीडेमिक डिजीजेज ऐक्ट, १८९७ के अधीन बनाये गये किसी विनियम या दिये गये आदेश का पालन नहीं करता है तो उक्त ऐक्ट की वर्तमान धारा ३ के अधीन उसके बारे में यह समझा जाता है कि उसने इंडियन पीनल कोड की धारा १८८ के अधीन दंडनीय अपराध किया है, इस ऐक्ट के अधीन अपराधों के लिये मुकदमा चलाने में कठिनाई का अनुभव हुआ था । इस ऐक्ट के अधीन मुकदमा चलाने के लिये अनुज्ञा राज्यपाल द्वारा दी जाती है और न्यायालयों ने यह निर्णय दिया है कि परिवाद (complaint) केवल राज्यपाल द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है । सरकार के लिये यह संभव नहीं है कि वह इस ऐक्ट के अधीन प्रत्येक अपराध के लिये स्वयं परिवाद प्रस्तुत करे, इसलिये यह व्यवस्था करने का विचार है कि इस अधिनियम के अधीन अपराधों के लिये परिवाद कोई ऐसा गजटेड अधिकारी प्रस्तुत करे, जिसे गजट में विज्ञप्ति द्वारा प्रकाशित राज्यपाल के आदेश से तदर्थ यथाविधि प्राधिकृत किया गया हो ।

तदनुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है ।

महावीरप्रसाद श्रीवास्तव,

स्वास्थ्य मंत्री ।

दी एपीडेमिक डिजीजेज ऐक्ट, १८९७ की धारा ३ के वर्तमान उपबन्ध जिसमें संशोधन करने का प्रस्ताव है:

---

3. "Any person disobeying any regulation or order made under this Act shall be deemed to have committed an offence punishable under Section 188 of the Indian Penal Code."

सत्यमेव जयते

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० २२ फुल० ए०—१९६२—८४५ ।